F.No. 15-75/1/NMA/HBL-2021

Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal" have been prepared by the Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

i. National Monuments Authority **www.nma.gov.in**
ii. Archaeological Survey of India **www.asi.nic.in**
iii. Archaeological Survey of India, Kolkata Circle **www.asikolkata.in**

2. Any person having any objections or suggestion may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID **hbl-section@nma.gov.in** latest by 9th September, 2021. The person making objections or suggestion should also give his name and address.

3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 9th September, 2021, consultation with Competent Authority and other Stakeholders.

(N.T.Paite)
Director, NMA
11th August, 2021

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for **Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District – Bankura, West Bengal.**

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 जिसे प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप नियम बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम (22) के साथ पढ़ा जाए, की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक "**नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल**" के लिए निम्नलिखित मसौदा धरोहर उप नियम जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियमावली, 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

उक्त मसौदा उप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

धरोहर उप नियम

अध्याय I
प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(i) इन उप नियमों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक "**नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल**" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप नियम, 2021 कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगे।

(iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएं-

(1) इन उप नियमों में**,** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो**:-**

"प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या स्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(क) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा हिस्सा जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ख) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 (1958 का 24) से है;

(ग) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पद (रैंक) का नहीं है;

(घ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त के रैंक से नीचे न हो या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(च) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी शामिल है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;]

(छ) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र के (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे कवर करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूल रूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण शामिल नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958

2. **अधिनियम की पृष्ठभूमि** : धरोहर उपनियमों का उद्देश्य केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद थी अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 **धरोहर उप नियमों से संबंधित अधिनियम के उपबंध :** प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप नियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011, नियम 22 में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप नियम बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते तथा कार्य संचालन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 **आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:** प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत

महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक - नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल" का स्थान एवं अवस्थिति

3.0 स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति:-

- मंदिरों के जीपीएस निर्देशांक निम्नानुसार हैं:
  i. नंद लाल मंदिर - 23° 3'40.92" उत्तरी अक्षांश, 87°19'22.84" पूर्वी देशांतर
  ii. जोड़ मंदिर - 23° 3'37.43" उत्तरी अक्षांश, 87°19'18.88" पूर्वी देशांतर
  iii. राधागोविंद मंदिर - 23° 3'36.54" उत्तरी अक्षांश, 87°19'23.33" पूर्वी देशांतर
  iv. राधामाधव मंदिर - 23° 3'34.60" उत्तरी अक्षांश, 87°19'28.65" पूर्वी देशांतर
  v. कला चंद मंदिर - 23° 3'32.46" उत्तरी अक्षांश, 87°19'33.39" पूर्वी देशांतर
- ये संस्मारक बिष्णुपुर के दक्षिण में, रामानंद रोड पर लाल बांध के निकट अवस्थित हैं।
- संस्मारकों तक राष्ट्रीय राजमार्ग 14 (संस्मारक के 2.8 किलोमीटर दक्षिण दिशा से) के साथ साथ राज्य राजमार्ग 2 (संस्मारक के 4.3 किलोमीटर उत्तर दिशा में) से पहुंचा जा सकता है। बिष्णुपुर बस अड्डा और बिष्णुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन

पश्चिम दिशा में 1.7 किलोमीटर और 3.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दम दम, कोलकाता, सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जो संस्मारक से पूर्व दिशा में लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

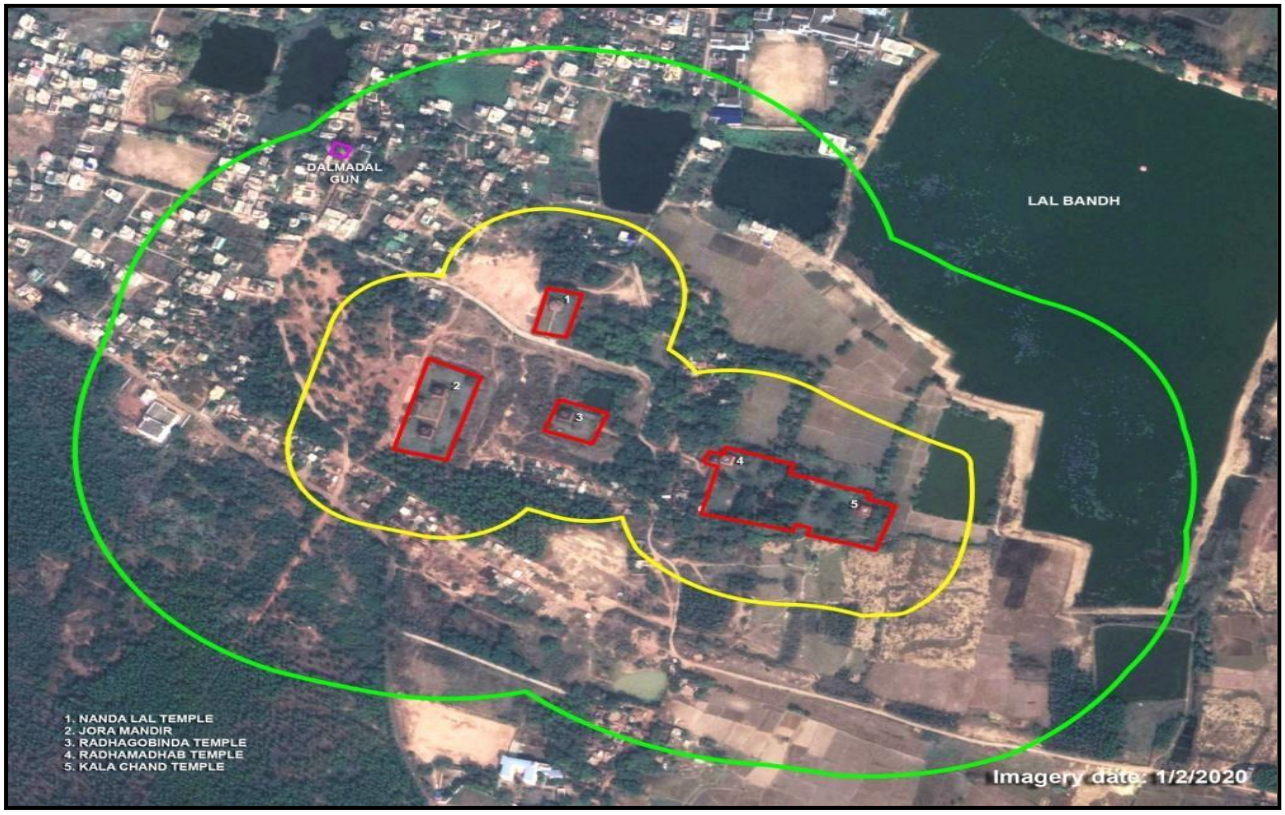

चित्र 1: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र सहित नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल की अवस्थिति को दर्शाता गूगल मानचित्र

3.1 संस्मारकों की संरक्षित सीमा:

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक - नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल की संरक्षित सीमाएं **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती हैं।

3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) के अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल की राजपत्र अधिसूचना की प्रति **अनुलग्नक-II** पर देखी जा सकती है।

3.2 स्मारक का इतिहास:

नंद लाल मंदिर का निर्माण लगभग 17वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ माना जाता है।

डॉ. ब्लॉक, पुरातत्व सर्वेक्षण अधीक्षक, पूर्वी परिमंडल के अनुसार बारह पुराने मंदिरों (डेटिड टेंपल्स) का कालानुक्रम निम्नानुसार है:*

मल्ला वर्ष में तारीख	ईसवी सन में तारीख	मंदिर का नाम	किसके द्वारा बनाया गया
962	1656	कला चंद	बीर हम्बीर सिंह के पुत्र रघुनाथ सिंह
1032	1726	जोड़ मंदिर	सम्भवत: गोपाल सिंह
1035	1729	राधागोविंद	गोपाल सिंह के पुत्र कृष्ण सिंह
1043	1737	राधामाधव	चूड़ामणि, अंतिम राजा की रानी

वर्ष 1903-04 के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण बंगाल परिमंडल की रिपोर्ट और वर्ष 1903-04 के लिए भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण की रिपोर्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के भाग VIII के पृष्ठ 203-205 में श्री बेलगर द्वारा एक अलग कालक्रम दिया गया है।

3.3 स्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)

1. **नंद लाल मंदिर:** *एकरत्न* प्रकार का यह मंदिर, लेटराइट पत्थर का बना हुआ है, जिसकी बंगाल के प्रकार की वक्राकार छत वाले एक वर्गाकार भवन पर एक शिखर (टावर) स्थित है। यह लालबांध के उत्तर में स्थित है। इस दक्षिणमुखी मंदिर में केवल तीन महराबदार द्वारों के पार्श्वों पर उपलब्ध स्थान पर ही अलंकरण है।

2. **जोड़ मंदिर:** लालबांध के समीपवर्ती स्थान पर स्थानीय छप्पर की झोपड़ी-नुमा प्रकार के और उत्तरी भारत के *शिखर* वाले लेटराइट से निर्मित तीन मंदिर स्थित हैं। तीनों मंदिरों में से बीच में स्थित मंदिर थोड़ा बड़ा है और इसे रामायण और कृष्ण लीला के दृश्यों को दर्शाते हुए व्यापक और वर्णनात्मक अलंकरण के साथ सजाया गया है। इस पूरे परिसर को जोड़ मंदिर के नाम से जाना जाता है।

3. **राधागोविंद मंदिर:** *एकरत्न* प्रकार का यह पूर्व-मुखी मंदिर लेटेराइट के ब्लॉक से बना हुआ है जिसका अग्रभाग त्रि-महराबदार है जिसके पीछे एक अंडाकार गलियारा है। इसकी पिछली दीवार में पवित्र कक्ष का प्रवेश द्वारा बना हुआ है। अग्रभाग की सम्पूर्ण दीवार और वक्राकार कंगनी (कॉर्निस) के नीचे की दीवार को नक्काशी सजावट के साथ अंलकृत किया गया है। इसमें बंगाल के मंदिर की वास्तुकला की छप्पर-नुमा झोपड़ी शैली में एक वर्गाकार निचली मंजिल स्थित है जिसके ऊपर

एक घुमावदार शिखर (टावर) है। मंदिर के आंगन में पत्थर से निर्मित एक सुंदर रथ है।

4. **राधामाधव मंदिर:** लाल बांध के दक्षिण की ओर *एकरत्न* प्रकार का लेटेराइट से निर्मित आकर्षक मंदिर स्थित है, जो वहां स्थित मंदिरों के समूह में से एक है। मंदिर के दक्षिण भाग एक त्रि-महराबदार द्वार है जिसके माध्यम से अंडाकार गलियारे में प्रवेश किया जाता है। इसकी पिछली दीवार में पवित्र कक्ष का महराबदार प्रवेशद्वार बना हुआ है। मंदिर की पूर्वी दीवार में एक अन्य गलियारा है जिसके तीन महराबदार द्वार है। मंदिर की बुनियाद पर पक्षियों, पशुओं एवं पौराणिक दृश्यों की पंक्ति दर्शायी गयी है। पार्श्व दीवार और कंगनी (कॉर्निस) के निचले भाग पर एक अति मनोहर ढंग से दर्शाई गई ऊभरी हुई नक्काशी की मूर्तिकला का अलंकरण स्थित है। महराब की पार्श्वों और स्तम्भों के क्षेत्र को भी विभिन्न प्रसंगों वाली ऊभरी हुई नक्कासी के साथ अलंकृत किया गया है। इन सजावटों के अधिकांश क्षेत्र को कृष्ण लीला के दृश्यों, *दशावतार,* पुष्प-अलंकरणों को दर्शाते हुए सजाया गया हैं। इस मंदिर में स्थित *दो-चाला* प्रकार का एक *भोगमंड* (उच्चतापसह कक्ष) इसकी एक विशिष्ट विशेषता है जो इस स्थल पर स्थित अन्य किसी मंदिर में स्थित नहीं है।

5. **कला चंद मंदिर:** यह मंदिर लेटराइट पत्थर का बना हुआ है। यह मंदिर *एकरत्न* मंदिर की श्रेणी में आता है जिसकी ककुदनुमा छत के केंद्र में एक लम्बा एकल रत्न स्थित है। मंदिर की सभी पार्श्वों का अग्रभाग त्रि-महराबदार है। इसे स्टको प्लास्टर से आवृत्त किया गया था जो कि अधिकांशतः ओझल हो चुका है। दक्षिण भाग पर पट्टिका लगी थीं जिन पर चित्रात्मक मूर्ति आकृतियां मुद्रित थी जिनके लेटराइट से निर्मित मूल भाग को महीन चूने (स्टको) से पलस्तर किया गया था। इन पर *दशावतार* और अन्य उत्कीर्णन दर्शाए गए थे। यह पलस्तर अधिकांशतः हट गया है जिसका गढ़ा हुआ अपरिष्कृत लेटराइट से निर्मित मूल भाग दिखने लगा है।

3.4 वर्तमान स्थिति :

3.4.1 स्मारकों की स्थिति:

इन स्मारकों के परिरक्षण की स्थिति अच्छी है।

3.4.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभी आने वाले दर्शकों की संख्या:

सामान्य मौसम में मंदिर में प्रतिदिन लगभग 50-100 दर्शक आते हैं। अक्तूबर-फरवरी के महीनों के दौरान दर्शकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसमें इस मंदिर को देखने प्रतिदिन लगभग 2000-3000 दर्शक आते हैं।

अध्याय IV

4.0 स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में मौजूदा क्षेत्रीकरण, यदि कोई है

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में कोई विशिष्ट क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है। ये स्मारक बिष्णुपुर नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

4.1 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश :

इन्हें **अनुलग्नक-III** में देखा जा सकता है।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची, नियम 21 (1)/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख में परिभाषित सीमाओं के आधार पर निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार जानकारी।

5.0 नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला- बांकुरा, पश्चिम बंगाल का समोच्च मानचित्र

इन्हें **अनुलग्नक- IV** में देखा जा सकता है।

5.1 सर्वेक्षण किए गए आंकड़ों का विश्लेषण:

5.1.1 निषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- संस्मारकों का कुल संरक्षित क्षेत्र :
    1. नंद लाल मंदिर - 1441.88 वर्गमीटर
    2. जोड़ मंदिर - 5390.32 वर्गमीटर
    3. राधागोविंद मंदिर - 1575.46 वर्गमीटर
    4. राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर - 12,369.54 वर्गमीटर

- स्मारक का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 168620.71 वर्गमीटर है।
- स्मारक का कुल विनियमित क्षेत्र 516159.9 वर्गमीटर है।

प्रमुख विशेषताएं:

- यह स्मारक लाल बांध के निकट बिष्णुपुर के दक्षित में स्थित है।
- स्मारक के दक्षिण और पूर्व दिशा में रिक्त/खुला स्थान स्थित है जिसमें कुछ भाग में वनस्पतियां उगी हुई हैं, कुछ भाग का उपयोग मुख्यतः कृषि प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है.

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर -** 3 मीटर से 4 मीटर ऊंचाई की सीमा में अधिकांशतः एक मंजिला पक्के और कच्चे मकान; नंद लाल प्रांगण, चाय की दुकान (टी स्टाल);पोरा-मातीर हाट के लिए खुला मैदान विद्यमान है।
- **उत्तर-पूर्व -** 3 मीटर से 4 मीटर ऊंचाई के अधिकांशतः एक मंजिला पक्के और कच्चे मकान; मध्यकाल के उपरांत निर्मित एक मंदिर मौजूद है।
- **दक्षिण -** 3 मीटर, 4 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के पक्के और कच्चे मकान तल; नंद लाल मंदिर के दक्षिण दिशा में जोड़ मंदिर और राधागोविंद मंदिर स्थित हैं।
- **पूर्व-** कम उगी हुई वनस्पतियों से युक्त विशाल खुला स्थान; एक लघु तालाब; जोड़ मंदिर के पूर्व दिशा में राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर स्थित हैं।
- **पश्चिम -** कम उगी हुई वनस्पतियों से युक्त खुला स्थान; राधामाधव मंदिर के पश्चिम दिशा में राधागोविंद मंदिर और जोड़ मंदिर स्थित हैं।
- **दक्षिण-पश्चिम -** 3 मीटर से 4.25 मीटर की सीमा में अधिकांशतः एक मंजिला पक्के और कच्चे मकान मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर-पश्चिम:** 3 मीटर, 4 मीटर, 6.5 मीटर और 7 मीटर की ऊंचाई वाले आवासीय भवन; दुकानें; चिन्नामस्ता मंदिर; चिन्नामस्ता बाजार; दलमदल कैनन (एएसआई द्वारा संरक्षित); नलकूप; कुएं; विद्युत स्तंभ (इलेक्ट्रिक पोस्ट), प्रकाश स्तंभ (लैंप पोस्ट), कार्ट-ट्रैक रोड।
- **दक्षिण:** कुछ आवासीय भवन; एक लघु तालाब; कम उगी हुई वनस्पतियों से युक्त खुली जगह।
- **पूर्व:** इस क्षेत्र में ऐसी कोई निर्माण गतिविधि नहीं पाई गई है; लाल बांध (जलाशय); कुछ कृषि भूमि; दो लघु तालाब; उगी हुई वनस्पतियों से युक्त कुछ खुले स्थान।
- **पश्चिम:** 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई के आवासीय भवन; दुकानें; दलमदल रोड चिल्ड्रेन पार्क; ग्रामीण हाट; शांतिप्रिय समुदाय लॉज।

5.1.3. हरित/खुले स्थान का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर**: नंद लाल प्रांगण, उगी हुई वनस्पतियों से युक्त कुछ खुले स्थान।
- **दक्षिण**: कम उगी हुई वनस्पतियों से युक्त कुछ खुले स्थान।
- **पूर्व**: कम उगी हुई वनस्पतियों से युक्त विशाल खुले स्थान।
- **पश्चिम**: कम उगी हुई वनस्पतियों से युक्त खुला स्थान (यह मैदान बिष्णुपुर मेला और साप्ताहिक पोरा मातिर हाट के लिए प्रयोग किया जाता है)।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर:** तालाब, कुछ खुले स्थान; पेड़; लाल बांध (जलाशय)।
- **दक्षिण:** खुले स्थान, कुछ कृषि भूमि, एक लघु तालाब, कला चंद खेल का मैदान।
- **दक्षिण-पश्चिम:** सघन उगी हुई वनस्पति।

- **पूर्व:** लाल बांध (जलाशय), कुछ कृषि भूमि, दो लघु तालाब, उगी हुई वनस्पतियों से युक्त कुछ खुले स्थान।
- **पश्चिम:** कम उगी हुई वनस्पति के युक्त कुछ खुले स्थान।

5.1.4. परिचालन के अंतर्गत आने वाला आवृत्त क्षेत्र - सड़क, फुटपाथ आदि

सभी स्मारक तक संकरी खराब सड़क (कार्ट-ट्रैक रोड) के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। परिवहन के मुख्य साधन मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, कार, जीप, ऑटो-रिक्शा, बसें आदि हैं। नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधामाधव मंदिर, राधागोविंद मंदिर और कला चंद मंदिर तक क्रमशः दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और दक्षिण दिशा से पहुंचा जा सकता है।

5.1.5. भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार):

- **उत्तर-पश्चिम:** अधिकतम ऊंचाई 7 मीटर है
- **दक्षिण :** अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर है
- **पूर्व :** अधिकतम ऊंचाई 0 मीटर है
- **पश्चिम:** अधिकतम ऊंचाई 7 मीटर है

5.1.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन यदि उपलब्ध हों:

दलमदल गन, जो कि केंद्र द्वारा संरक्षइ स्मारक है, संरक्षित क्षेत्र से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर विनियमित क्षेत्र में स्थित है।

5.1.7. सार्वजनिक सुविधाएं :

स्मारक के आसपास और विनियमित क्षेत्र में कंक्रीट की सड़कें और संकरी सड़क पांचों संस्मारकों में अच्छी तरह से जुड़े रास्ते और एक दूसरे के बीच अच्छी संयोजकता, कम उगी हुई वनस्पतियों से युक्त खुले स्थान मौजूद हैं। दर्शकों के लिए स्मारक के संरक्षित क्षेत्र के भीतर फ़ुटपाथ, खुले स्थान, बिजली की आपूर्ति, सड़क का प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) और मल प्रवाह (सीवरेज) सुविधाएं उपलब्ध हैं। राधामाधब मंदिर और कला चंद मंदिर के संयुक्त परिसर में एक शौचालय खंड और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हैं। नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, और

राधागोविंद मंदिर में शौचालय खंड और पीने के पानी की सुविधा नहीं है। स्मारक के विनियमित क्षेत्र में कुछ होटल और विश्राम स्थल विद्यमान हैं।

5.1.8. स्मारक तक पहुंच:

यह स्मारक बिष्णुपुर के दक्षिण में रामानंद रोड पर लाल बांध के निकट स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 (स्मारक के दक्षिण दिशा में 2.8 किमी) के साथ-साथ राज्य राजमार्ग 2 (स्मारक के उत्तर दिशा में 4.3 किमी) के माध्यम से इस स्मारक तक पहुंचा जा सकता है। सभी सस्मारकों तक एक संकरी सड़क (कार्ट-ट्रैक रोड) के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। परिवहन के मुख्य साधन मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, कार, जीप, ऑटो रिक्शा, बस आदि हैं। नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधामाधव मंदिर, राधागविंद मंदिर और कला चंद मंदिर तक क्रमशः दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और दक्षिण की ओर से पहुँचा जा सकता है।

5.1.9. अवसंरचनात्मक सेवाएं {(जलापूर्ति, झंझाजल अपवाह तंत्र (स्टोर्म वाटर ड्रेनेज), जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)} :

संस्मारकों के संरक्षित क्षेत्र में पूरे वर्ष ऐसी कोई अवसंरचनात्मक सेवाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं। संस्मारकों के संबंधित मुख्य द्वारों के पास स्मारकों के बाहर पार्किंग की जा सकती है। हालांकि, दिसंबर के महीने में बिष्णुपुर मेले के दौरान मोबाइल शौचालय, पेयजल सुविधा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सेवाएं उपलब्ध रहती हैं।

5.1.10 क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

स्थानीय प्राधिकरणों में कोई विकास योजना उपलब्ध नहीं है**,** अतः निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए कोई प्रस्तावित क्षेत्रीकरण अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है।

कुछ दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

i. पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन) नियमावली, 2007
ii. कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980
iii. पश्चिम बंगाल विरासत आयोग अधिनियम, 2001
iv. कोलकाता नगर निगम भवन नियमावली, 2009

अध्याय VI

स्मारक की वास्तुकलात्मक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य

6.0. वास्तुकलात्मक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व :

यह स्थान स्थानीय रूप से उपलब्ध लेटराइट पत्थरों से बने टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर संरचनात्मक रूप की सभी किस्मों का प्रदर्शन करते हैं, जो निचले बंगाल के मंदिर की वास्तुकला की परंपराओं को दर्शाते हैं।

<u>ऐतिहासिक महत्व:</u>

नंद लाल मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ माना जाता है।

डॉ. ब्लॉच, पुरातत्व सर्वेक्षण अधीक्षक, पूर्वी परिमंडल के अनुसार बारह दिनांकित मंदिरों (डेटिड टेम्पल्स) का कालानुक्रम निम्नानुसार है:*

मल्ला वर्ष में तारीख	ईसवी सन् में तारीख	मंदिर का नाम	किसके द्वारा बनाया गया
962	1656	कला चंद	बीर हम्बीर सिंह के पुत्र रघुनाथ सिंह
1032	1726	जोड़ मंदिर	सम्भवत: गोपाल सिंह
1035	1729	राधागोविंद	गोपाल सिंह के पुत्र कृष्ण सिंह
1043	1737	राधामाधव	चूड़ामणि, अंतिम राजा की रानी

** वर्ष 1903-04 के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण बंगाल परिमंडल की रिपोर्ट और वर्ष 1903-04 के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के भाग VIII के पृष्ठ 203-205 में श्री बेलगर द्वारा एक अलग कालक्रम दिया गया है।*

<u>पुरातात्विक महत्व</u>: इसमें मानव अस्तित्व को दर्शाने वाले अवशेष शामिल हैं। ये सभी अवशेष भूमि और क्षेत्र के लोगों के समृद्ध ऐतिहासिक अतीत का प्रमाण देते हैं।

6.1. स्मारक की संवेदनशीलता (उदाहरणार्थ : विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

संस्मारकों के चारों ओर कम उगी हुई वनस्पति से युक्त खुले स्थानों का व्यापक विस्तार है। तथापि, स्मारक के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम दिशा की ओर हाल के वर्षों में निर्माण गतिविधियां शुरू हुई हैं।

6.2. संरक्षित स्मारक/क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता :

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं से स्मारक तक दृश्यता - प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं से स्मारक कुछ हद तक दिखाई देता है।

स्मारक से दृश्यता - संस्मारकों से कम उगी हुई वनस्पति से युक्त खुली जगहों के व्यापक विस्तार को देखा जा सकता है।

6.3. भूमि-उपयोग की पहचान करना :

स्मारक का समीपवर्ती क्षेत्र का उपयोग अधिकांशतः आवासीय, व्यावसायिक और कृषि गतिविधियों के लिए किया जाता है।

6.4. संरक्षित स्मारक के अलावा पुरातात्विक विरासत अवशेष:

उत्तर दिशा की ओर प्रतिषिद्ध क्षेत्र में उत्तर मध्य युग में निर्मित किया गया एक मंदिर मौजूद है।

6.5. सांस्कृतिक परिदृश्य:

स्मारक के चारों ओर प्रतिषिद्ध क्षेत्र में बहुत कम निर्माण गतिविधियां विद्यमान हैं। किंतु, नंद लाल मंदिर और जोड़ मंदिर के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम की ओर बहुत-सी निर्माण गतिविधियां देखी जा सकती है।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और पर्यावरण प्रदूषण से संस्मारकों को संरक्षित करने में भी मदद करते हैं:

क्षेत्र में वायु और ध्वनि प्रदूषण संभवतः बहुत कम है। स्मारक के समीप वृक्षों और वनस्पतियों की वृद्धि स्मारक को शहर से आने वाले पर्यावरण प्रदूषण से बचाती है।

6.7 खुले स्थान का उपयोग और निर्माण:

- स्मारकों के समीप स्थित प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का उपयोग वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाता है:
- समीपवर्ती निर्माण मुख्य रूप से आवासीय उद्देश्यों के लिए किये जाते हैं और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए बहुत कम किए जातें हैं।
- जोड़ मंदिर परिसर के समीप खुले मैदान का उपयोग 'पोरा मतिर हाट' के लिए किया जाता है। 'पोरा मतिर हाट' का वास्तव में अर्थ - एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार है, जहां पकी हुई मिट्टी के उत्पाद बेचे जा रहे हैं।
- प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में नंद लाल मंदिर और जोड़ मंदिर के निकट स्थित मैदान में वार्षिक मेला, बिष्णुपुर मेला, आयोजित किया जाता है।
- स्मारक की पूर्व दिशा से दक्षिण-पश्चिम दिशा तक वनस्पति की उत्पत्ति के साथ खुले स्थान का व्यापक विस्तार; और बरसात के मौसम में हरे किंतु गर्मी के मौसम में शुष्क और सूखी कृषि भूमि, सम्भवतः धान की खेती के मैदान, देखे जा सकते हैं।
- स्मारक के उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जलाशय के रूप में उपयोग किया जाने वाला लाल बांध है।

6.8 परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप:

नंद लाल मंदिर और जोड़ मंदिर के समीपवर्ती मैदान में बंगाली कैलेंडर के पौष के महीने में एक वार्षिक मेला, बिष्णुपुर मेला, आयोजित किया जाता है। मेले का स्थान कभी-कभी बदल दिया जाता है और इसका आयोजन अन्य स्थानों पर किया जाता है। बिष्णुपुर मेले में समय के दौरान पारंपरिक बंगाली संस्कृति में बदलाव की झलक दिखाते हुए, क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव मनाया जाता है। मेले के दौरान, संस्मारकों में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है जो कि प्रतिदिन लगभग 2000-3000 आगंतुक तक हो जाती है।

6.9 स्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज :

कम ऊंचाई वाले भवनों (आवासीय और व्यावसायिक), आम तौर पर एक मंजिला भवन, कम ऊॅचाई वाले भवनों **(**आवासीय और व्यायवसायिक**)** आम तौर पर एक मंजिला भवन की रूपरेखा देखी जा सकती है।

6.10 पारंपरिक वास्तुकला:

अधिकांश आधुनिक निर्माण हाल के वर्षों में देखने को मिले हैं, किंतु, अभी भी *चाला* प्रकार की छतों वाले बंगाली प्रकार के कुछ पारंपरिक ग्रामीण झोपड़पट्टी और मिट्टी के घर देखे जा सकते हैं, जिन्हें वास्तुकला की पारंपरिक निचली बंगाली शैली के रूप में जाना जाता है।

6.11 स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई विकास योजना:

स्थानीय प्राधिकरणों में कोई विकास योजना विद्यमान नहीं है।

6.12 भवन से संबंधित मापदंड:

(क) **साइट पर निर्माण की ऊँचाई (खुली छत संरचना जैसे ममटी, पैरापेट, आदि सहित):**

स्मारक के विनियमित क्षेत्र के सभी तरह के भवनों की ऊँचाई **7** मीटर (सभी के साथ) तक सीमित रहेगी।

(**ख**) **तल क्षेत्र:** तल क्षेत्र अनुपात **(**एफएआर**)** स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार होगा।

(**ग**) **उपयोग: -** स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार भूमि-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं।

(घ) **अग्रभाग का डिजाइन: -**

अग्रभाग को स्मारक के परिवेश से मिलता-जुलता होना चाहिए।

(ङ) **खुली छत की डिजाइन: -**

स्थानीय परिवेश के अनुरूप होने के लिए ढलवां छत शैली का उपयोग किया जाए।

(च) भवन निर्माण सामग्री: -

पारम्परिक भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए।

(छ) रंग: - स्मारकों के साथ मिलते-जुलते हल्के रंग का उपयोग किया जाए।

6.13 आगंतुक हेतु सुख-सुविधाएं:

साइट पर आगंतुक हेतु सुख-सुविधाएं जैसे रोशनी, प्रकाश एवं ध्वनि शो, शौचालय, विवेचन केन्द्र, कैफेटेरिया, पेयजल, स्मारिका दुकान, दिव्यांगजनों के लिए श्रव्य-दृश्य केंद्र, रैंप, वाई-फाई और ब्रेल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें

(क) इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक)

- सामने के भवन का किनारा, मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक बरामदों या चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की अपेक्षा को पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) प्रक्षेपण (प्रोजेक्शंस)

- सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर बाधा मुक्त पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से 'निर्बाध' आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक (साइनेज)

- धरोहर क्षेत्र में साईनेज़ (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।
- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न आए और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियां

- व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पोलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal", prepared by the Competent Authority, are hereby published, as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected MonumentNanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal.
(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the monuments.
(iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b)" archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d)"archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e)" Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) " Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g)" construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h)"floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "Prohibited area" means any area specified or declared to be a Prohibited area under section 20A;

(n)"protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o)"protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p)"Regulated area" means any area specified or declared to be a Regulated area under section 20B;

(q)"re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2.0 Background of the Act: -The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument- Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District – Bankura, West Bengal.

3.0 Location and Setting of the Monuments: -

- GPS Coordinates of the following temples are:
  - i. Nanda Lal Temple: Lat.:23° 3'40.92"N, Long.:87°19'22.84"E
  - ii. Jora Mandir : Lat.:23° 3'37.43"N, Long.:87°19'18.88"E
  - iii. Radhagobinda Temple Lat.:23° 3'36.54"N, Long.: 87°19'23.33"E
  - iv. Radhamadhab Temple Lat.: 23° 3'34.60"N, Long.:87°19'28.65"E
  - v. Kala Chand Temple Lat.:23° 3'32.46"N, Long.:87°19'33.39"E
- The monuments lie to the south of Bishnupur, near the Lal Bandh in Ramananda Road.
- It can be reached from NH 14 (2.8 km south of the monument) as well as from SH 2 (4.3 km north of the monument).
- Bishnupur Bus Stand and Bishnupur Junction Railway Station are at a distance of 1.7km and 3.7km west of the monument. Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Dum Dum, Kolkata, is the nearest, at a distance of about 140 km east of the monument.

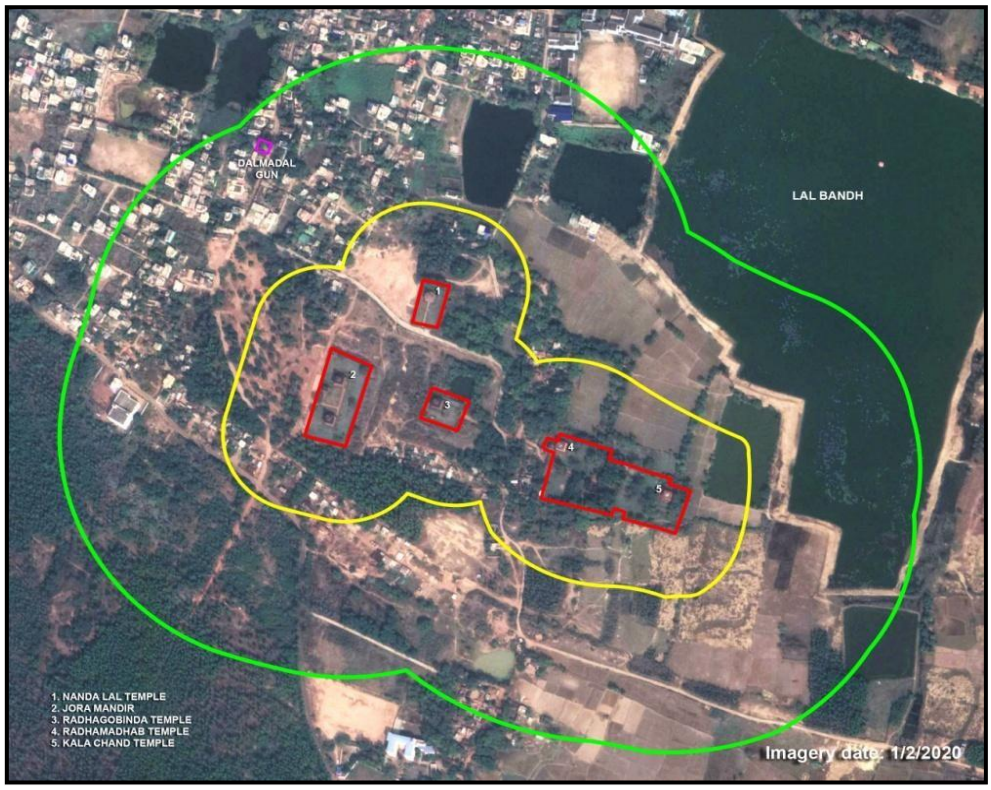

Map 1: Google map showing location of- Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, along with protected, prohibited and regulated area, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal.

3.1 Protected boundary of the Centrally Protected Monuments:

The protected boundary of the Centrally Protected Monuments Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District – Bankura, West Bengal may be seen **Annexure-I.**

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The copy of Notification of Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District – Bankura, West Bengal may be seen at **Annexure-II.**

3.2 History of the Monument:

The Nanda Lal temple is datable to c. 17th century CE.

According to Dr. Bloch, Superintendent of the Archaeological Survey, Eastern Circle, the twelve dated temples range in chronological order as follows*:

Date in Malla year	Date A.D.	Name of temple	By whom built
962	1656	Kala Chand	Raghunath Singh, son of Bir Hambir Singh
1032	1726	Jora Mandir	Probably Gopal Singh
1035	1729	Radhagobinda	Krishna Singh, son of Gopal Singh
1043	1737	Radhamadhab	Chodamani, queen of last Raja

**Report Arch. Surv. Bengal Circle, for 1903-04, and Report Arch. Surv. Ind. For 1903-04. A different chronology is given by Mr. Beglar in Reports Arch. Surv. Ind. Vol. VIII. pp.203-205.*

3.3 Description of the Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

1. **Nanda Lal temple:** This *ek-ratna* type temple, built of laterite stone, has a tower resting on a square building with a Bengal-type curved roof. It is situated to the north of the Lalbandh. This south facing temple has ornamentation only on the space available by the sides of three arched openings.

2. **Jora Mandir:** In close vicinity to the Lal bandh stands three laterite temples built in the local thatched hut-type form and with the *shikhara* of the North India. Among the three the middle one is a bit larger and is decorated with extensive and elaborate ornamentation depicting the scenes from the Ramayana and Krishna Lila episodes.The entire complex is known as Jora Mandir.

3. **Radhagobinda Temple:** This east facing *ek-ratna* temple made of laterite blocks has triple-arched facade behind which is an oblong corridor. In the rear wall of it is the entrance doorway of the sanctum chamber. The entire front wall and the wall beneath the curved cornice are embellished with bas-relief decoration. It consists of a square lower

storey in thatched-hut fashion of Bengal Temple architecture with a curvilinear tower above it. There is a beautiful stone chariot in the temple compound.

4. **Radhamadhab temple:** Belonging to the group of temples located to the south of the Lal bandh, stands the impressive laterite temple of the *ek-ratna* type. The south of the temple has a triple-arched opening which gives access to the oblong corridor. In the back-wall of it is the arched opening to the sanctum cella. The eastern wall of the temple has another corridor which has a three arched opening. At the base of the temple are depicted rows of birds and animals and the Puranic episodes. On the side wall and lower part of the cornice exist elaborate sculptural reliefs shown in a very graceful manner. The area by the side of the arches and the pillars are also embellished with relief decoration dealing with various themes. The major area of these decorations is filled with scenes showing the Krishna Lila episodes, *Dasavatara* and floral designs. The temple has the compliment of a *Bhogamanda* (refractory hall) of the *do-chala* type, a unique feature not found with any temple at the site.

5. **Kala Chand Temple:** The temple is built of laterite stone. It belongs to the *ekratna* category with a tall single *ratna* in the center of its humped roof. There is triple-arched facade on all sides of the temple. It was covered with stucco plaster much of which has disappeared. On the south face there were panels containing figure sculptures with their laterite cores finished in stucco. They depicted *Dasavatara* and other figures. The plaster has largely lost leaving the crudely sculpted laterite core exposed.

3.4 Current Status

3.4.1 Condition of Monument:

The monuments are in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

Around 50-100 visitors per day come to visit the temple during the offseason. The number drastically increases during the months of October-February, to around 2000-3000 visitors visiting the temple daily.

CHAPTER IV

4.0 Existing Zoning if any in the local area development plans:

No specific zoning has been done in the local area development plans. The monuments come under the jurisdiction of Bishnupur Municipality.

4.1 Existing Guide lines of the Local Bodies:

It may be seen at **Annexure-III.**

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour map of Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District – Bankura, West Bengal

It may be seen at **Annexure- IV**.

5.1 Analysis of Surveyed Data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Total Protected Area of the monuments
  1. Nanda Lal Temple - 1441.88 sq. m
  2. Jora Mandir - 5390.32 sq. m
  3. Radhagobinda Temple- 1575.46 sq. m
  4. Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple: 12,369.54 sq. m
- Total Prohibited Area of the monument is 168620.71 sq.
- Total Regulated Area of the monument is 516159.9 sq. m

Salient Features:

- The monument lies to south of Bishnupur, near the Lal Bandh.
- To the south and east of the monuments lie vacant/open spaces with little vegetation growth, some being used mainly for agricultural purposes.

5.1.2 Description of built up area:

Prohibited Area:

- **North:** Pucca and kutcha houses mostly with ground floor ranging from 3m to 4m in height, Nanda Lal Prangan, tea stall and open ground for Pora-matir haat.
- **North-east:** Pucca and kutcha houses mostly with ground floor ranging from 3m-4m in height and a post-medieval temple.
- **South:** Pucca and kutcha houses r ranging from 3m, 4m and 7m in height. To the south of the Nanda Lal Temple, lies the Jora Mandir and the Radhagobinda Temple.
- **East:** Vast open spaces with sparse vegetation growth and a small water body. To the east of the Jora Mandir lie the Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and the Kala Chand Temple.

- **West:** Open spaces with sparse vegetation growth. To the west of Radhmadhab temple lays the Radhagobinda Temple and the Jora Mandir.
- **South-west:** Pucca and kutcha houses mostly with ground floor ranging from 3m to 4.25m in height.

Regulated Area:

- **North-west:** Residential buildings ranging in height from 3m, 4m, 6.5m and 7m, shops, Chinnamasta Mandir, Chinnamsta Market, Dalmadal Canon (Centrally Protected), tube-well, wells, electric post, lamp-post and cart-track road.
- **South:** Few residential building, a small water body and open spaces with sparse vegetation growth.
- **East:** No construction activity seen in this area. Lal Bandh (water reservoir), few agricultural land, two small water bodies and few open spaces with sparse vegetation growth.
- **West:** Residential buildings ranging in height from 3m - 4m, shops, Dalmadal road, children park, Gramin Haat and Shantipriya community lodge.

5.1.3 Description of green/open spaces

Prohibited Area:

- **North:** Nanda Lal prangan and few open spaces with sparse vegetation growth.
- **South:** Few open spaces with sparse vegetation growth.
- **East:** Vast open spaces with sparse vegetation growth.
- **West:** Open spaces with sparse vegetation growth (this ground is used for Bishnupur Mela and weekly Pora Maatir Haat).

Regulated Area:

- **North:** Water bodies, few open spaces, trees and Lal Bandh (water reservoir).
- **South:** Open spaces, agricultural land, a small water body and Kala Chand playground.
- **South-west:** Dense vegetation growth.
- **East:** Lal Bandh (water reservoir), agricultural land, two small water bodies and few open spaces with sparse vegetation growth.
- **West:** Few open spaces with sparse vegetation growth.

5.1.4 Area covered under circulation – roads, footpaths, etc:

All the monuments are accessible by a cart-track road. The primary mode of transportation is by motorcycles, scooters, bicycles, cars, jeeps, auto rickshaws, buses, etc. The Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhamadhab Temple, Radhagobinda Temple and the Kala Chand Temple, can be accessed from the south, west, south, east and south respectively.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise):

- **North-west:** The maximum height is 7 m.
- **South:** The maximum height is 6m.
- **East:** The maximum height is 0m.
- **West:** The maximum height is 7 m.

5.1.6 State protected monuments and listed heritage buildings by local authorities, if available, within Prohibited/Regulated Area:

Dalmadal Gun, a Centrally Protected Monument is located in the Regulated Area towards the north-west of the Protected Area.

5.1.7 Public amenities

All the five monuments have well connected pathways and good connectivity amongst each other through concrete roads and cart track road. Open spaces with sparse vegetation growth are present within the surroundings and the Regulated Area of the monument. Footpaths, open spaces, electricity supply, street lightning and sewerage are made available inside the monument for visitors. Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple together form a complex having toilet block and drinking water facility. Nanda Lal Temple, Jora Mandir, and Radhagobinda Temple, do not have toilet blocks and drinking water facility. Few hotels and resting places are available in the Regulated Area of the monument.

5.1.8 Access to the monument:

The monument lies to the south of Bishnupur, near the Lal Bandh in Ramananda Road. It can be reached from NH 14 (2.8 km to the south of the monument) as well as from SH 2 (4.3 km to the north of the monument). All the monuments are accessible by a cart-track road. The primary mode of transportation is by motorcycles, scooters, bicycles, cars, jeeps, auto rickshaws, buses, etc. the Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhamadhab Temple, Radhagobinda Temple and the Kala Chand Temple, can be accessed from the south, west, south, east and south respectively.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

No infrastructure services available in the Protected Area of the monuments except for services like mobile toilets, drinking water facility, solid waste management, etc. which are available during the Bishnupur Mela in the month of December. Parking can be done outside the monuments near their respective main gates.

5.1.10 Proposed zoning of the area:

No development plan is available with the local authorities hence no proposed zoning can be identified for the given area.
Few guidelines are mentioned as per the:

i. The West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007.
ii. The Kolkata municipal corporation act, 1980.
iii. The West Bengal Heritage Commission Act, 2001.
iv. Kolkata Municipal Corporation Building Rules 2009.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value of themonument:

The place is famous for the terracotta temples made from the locally available laterite stones. These temples exhibit all varieties of structural form, showcasing the traditions of the lower Bengal Temple architecture.

Historical value:

The Nanda Lal temple is datable to c. 17^{th} century CE.

According to Dr. Bloch, Superintendent of the Archaeological Survey, Eastern Circle, the twelve dated temples range in chronological order as follows*:

Date in Malla year	Date A.D.	Name of temple	By whom built
962	1656	Kala Chand	Raghunath Singh, son of Bir Hambir Singh
1032	1726	Jor Mandir	Probably Gopal Singh
1035	1729	Radhagobinda	Krishna Singh, son of Gopal Singh
1043	1737	Radhamadhab	Chodamani, queen of last Raja

**Report Arch. Surv. Bengal Circle, for 1903-04, and Report Arch. Surv. Ind. For 1903-04. A different chronology is given by Mr. Beglar in Reports Arch. Surv. Ind. Vol. VIII. pp.203-205.*

Archaeological value:

It comprises the vestiges of human existence. All these remains give an evidence of rich historical past of the land and the people of the area.

6.1 Sensitivity of the monuments (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):

The monuments are surrounded by vast expanses of open spaces with sparse vegetation growth on all sides. However, construction activities have come up in recent years towards the north-west and west of the monument.

6.2 Visibility from the protected monument/area and visibility from the Regulated Area:

Visibility from all directions of Prohibited and Regulated Area to the monument- The monument is visible to some extent from all directions of Prohibited and Regulated Area.
Visibility from the monument- Vast expanses of open spaces with sparse vegetation growth can be seen from the monuments.

6.3 Land use to be identified:

The area near the monument is mostly used for residential, commercial and agricultural activities.

6.4 Archaeological heritage remains other than Protected monuments:

There is a post medieval temple in the Prohibited Area towards the north.

6.5 Cultural landscapes:

The monuments are surrounded by very few construction activities in the Prohibited Area. But, many construction activities can be seen towards the north-west and west of the Nanda Lal Temple and the Jora Mandir.

6.6 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting the monument from environmental pollution:

Air and noise pollution is probably very less in the area. The trees and vegetation growth near the monument protects the monument from the environmental pollution coming from the town.

6.7 Usage of open space and constructions:

- The construction nearby is used mainly for residential purposes and a very few for commercial purposes.
- The open ground near the Jora Mandir premises is used for ‘Pora Matir Haat’. The name 'Pora Matir Haat' actually means- a weekly rural market place where the burned clay products are being sold.
- The annual fair, Bishnupur Mela is held in the adjoining grounds near the Nanda Lal Temple and the Jora Mandir, every December.

- Vast expanses of open land with vegetation growth and agricultural land can be seen from the east to the south-west of the monument.
- The Lal Bandh, used as a reservoir is located towards the north-east of the monument.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

The Bishnupur Mela, an annual fair, in the month of Poush of the Bengali calendar, is held in the ground near the Nanda Lal Temple and the Jora Mandir. The place of the Mela sometimes changes and shifts to other places. The Bishnupur Mela celebrates the cultural richness of the region showcasing a glimpse of the changes in the traditional Bengali culture overtime. During the Mela, the number of tourists visiting the nearby monuments drastically increases to about 2000-3000 visitors per day.

6.9 Skyline, as visible from the monument and from Regulated Areas:

The outline of low rise buildings (residential and commercial), generally one storey can be seen.

6.10 Traditional architecture:

Most modern constructions have come up in the recent years, but, still few traditional Bengal type rural huts with *chala* type roof and clay houses can be found, known as the traditional lower Bengal style of architecture.

6.11 Development plan as provided by the local authorities:

No development plan is available with the local authorities.

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc.): The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 7.0m. (All inclusive).

(b) Floor area: FAR will be as per local bye-laws.

(c) Usage: - As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design: The façade design should match the ambience of the monument.

(e) Roof design: Pitched roof style may be used to match the local ambience.

(f) Building material: Traditional building material may be used.

(g) Color: Neutral colors matching with the monument may be used.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, light and sound shows, toilets, interpretation center, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual center, ramp for differently abled, Wi-Fi, and braille should be available at the site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations

a) Setbacks:

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections:

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages:

- LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument

7.2Other recommendations:

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक – **I**
ANNEXURE-I

नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल की संरक्षित चारदीवारी

Protected boundary of Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District Bankura, West Bengal

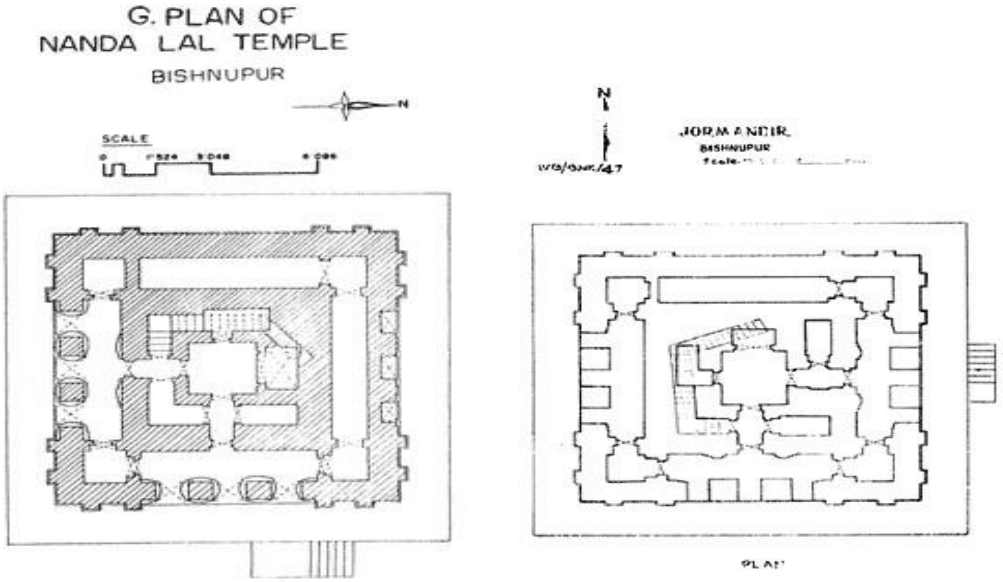

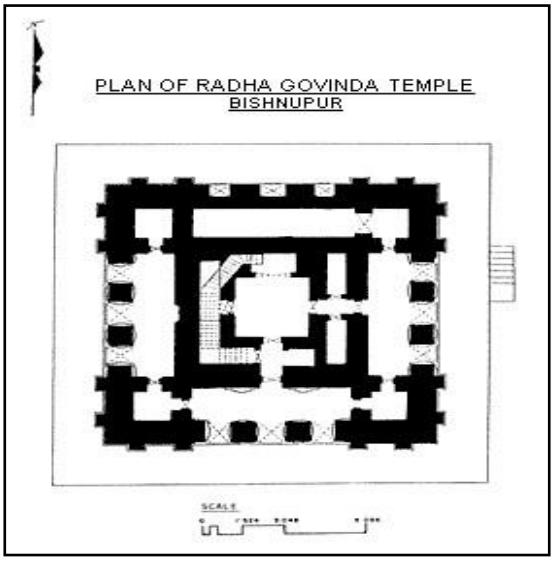

राधा माधव मंदिर
बिष्णुपुर

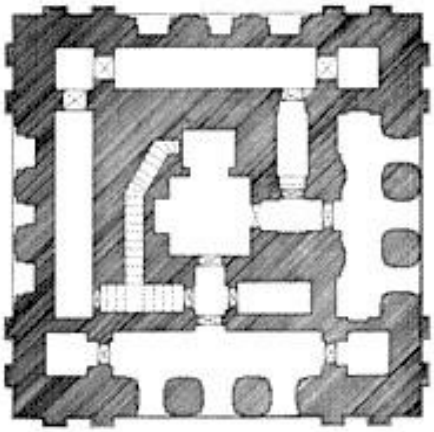

PLAN

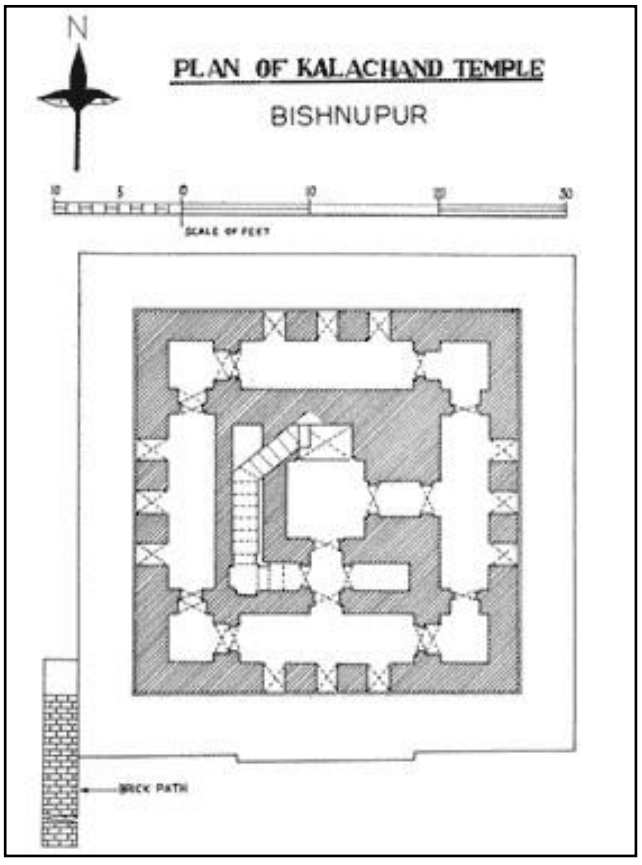

अनुलग्नक- II

ANNEXURE-II

नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल की अधिसूचना

Notification of Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal.

No. 124.—The 10th January 1914.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, (VII of 1904), the Governor in Council is pleased to declare the fourteen ancient monuments which are situated in the Vishnupur subdivision of the district of Bankura and are bounded as follows to be protected monuments within the meaning of the said Act :—

Bankura.

(SITUATED WITHIN THE JUNGLE NEAR VISHNUPUR.)

10. *Nanda Lal Temple*—

North, South, East and West—Waste land of Babu Rajballav Singh Deb.

11. *Jora Mandir (and not Jora Bungalow)*—

North, South and East—Moat,

West—Waste land.

12. *Radhagobinda Temple*—

North, South, East and West—Moat.

13. *Radhamadhab Temple*—

North—Radhamadhab tank,

South and East—Waste land,

West—Moat.

14. *Kala Chand Temple*—

North—Waste land,

South—Moat,

East—Waste land,

West—Land of Babu Jayram Bhattacherji.

2. Any objections to the issue of this notification which are received by the undersigned within one month from the date on which a copy of the notification is fixed up in a conspicuous place on or near the said monuments, will be taken into consideration.

H. F. SAMMAN,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 2351.—The 19th June 1914.—The Notification No. 124, dated the 10th January 1914, published in Part I of the *Calcutta Gazette* of the 14th January 1914, which declared the 14 ancient monuments in the Vishnupur subdivision of the district of Bankura to be protected monuments, is confirmed under section 3 (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), except in the case of the Nanda Lal temple (No. 10).

H. F. SAMMAN,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 3225.—The 22nd August 1914.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Governor in Council is pleased to declare the Nanda Lal Temple which is situated in the Vishnupur subdivision of the district of Bankura, and is bounded as follows, to be a protected monument within the meaning of the said Act :—

Bankura.

Situated within the jungle near Vishnupur.
Nanda Lal Temple—*North, South, East and West*—Waste land.

2. Any objections to the issue of the notification, which are received by the undersigned within one month from the date on which a copy of the notification is fixed up in a conspicuous place on or near the said monument, will be taken into consideration.

H. F. SAMMAN,
Secy. to the Govt. of Bengal.

अनुलग्नक - III

स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

पश्चिम बंगाल में नगरपालिका क्षेत्रों, अधिसूचित क्षेत्रों और औद्योगिक नगर क्षेत्र में भवनों पर पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन निर्माण) नियमावली, 2007 लागू होगी। ii. कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 के अध्याय XXIII क के अनुसार - धारा 425 क-425 त के तहत, विरासत भवनों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए कतिपय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। ये निम्नानुसार हैं:

- 425 क- विरासत भवन का अनुरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण करने वाला स्वामी।
- 425 ख- किसी भवन को एक विरासत भवन के रूप में घोषित करने की निगम की शक्ति।
- 425 ग- विरासत भवन का श्रेणीकरण।
- 425 घ- विरासत संरक्षण समिति।
- 425 ङ- विरासत संरक्षण समिति की शक्तियां और कार्य।
- 425 च- विरासत भवन की आवश्यकता, खरीद या पट्टे पर लेने के लिए निगम की शक्ति।
- 425 छ- निगम द्वारा अधिग्रहित विरासत भवन तक पहुंच का अधिकार।
- 425 झ- विरासत भवन की उप-पट्टाधारिता (सब-लीज)।
- 425 ञ- विरासत भवन के अधिग्रहण से पहले राज्य सरकार के संबंधित विभाग की अनुमति।
- 425 ट- विरासत भवन पर दरों और करों आदि में छूट देने की शक्ति।
- 425 ठ- विरासत भवन के लंबित अधिग्रहण के लिए स्वामी के साथ करार।
- 425 ड- किसी भी स्वैच्छिक संगठन, व्यक्ति या कंपनी के साथ स्वैच्छिक योगदान और करार।
- 425 ढ- विरासत भवन का प्रबंधन और नियंत्रण अपने हाथ में लेना।

- 425 न- जब विरासत भवन, विरासत भवन के रूप में न रहे।
- 425 त- जुर्माना. iii. **पश्चिम बंगाल विरासत आयोग अधिनियम, 2001** में पश्चिम बंगाल राज्य में विरासत भवनों, स्मारकों, परिसीमाओं और स्थलों के अभिनिर्धारण के लिए और उनके पुनरूद्धार और परिरक्षण के लिए उपाय करने के लिए विरासत आयोग की स्थापना का एक प्रावधान किया गया है। यह पूरे पश्चिम बंगाल में लागू होता है।

  इस अधिनियम के अध्याय II में - पश्चिम बंगाल विरासत आयोग के नाम से एक आयोग की स्थापना करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

1. नए निर्माण, इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेट बैक) के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमेय भूमि आवृत्त, तल क्षेत्र अनुपात / तल स्थान अनुपात और इनकी ऊंचाई

निर्माण के सामान्य नियम पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन) नियम, 2007 के अनुसार लागू होंगे।

पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन निर्माण) नियम, 2007 की धारा 9 के भाग II (क) के अनुसार: पहाड़ी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों के भूखंडों का उप-विभाजन हो।

तालिका 1: पहुंच के साधनों की अधिकतम दूरी

क्र.सं.	**पहुंच के साधनों की चौड़ाई**	**एक छोर पर बंद होने वाले पहुंच के साधनों के लिए**	**दोनों छोर पर खुली सड़क होने वाले पहुंच के साधनों के लिए**
1	3.50 मीटर और उससे अधिक लेकिन अधिकतम 7.00 मीटर	25.00 मीटर	75.00 मीटर
2	7.00 मीटर से अधिक लेकिन अधिकतम 10.00 मीटर	50.00 मीटर	150.00 मीटर
3	10.00 मीटर से ऊपर	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं

धारा (45) भाग III केअनुसार, - पहाड़ी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में पहुंच के साधन के नियम।

किसी नए भवन के पहुंच के साधनों की न्यूनतम चौड़ाई निम्नानुसार होगी:

जब तक भूखंड किसी भी भाग में न्यूनतम 10.00 मीटर तक की चौड़ाई वाले किसी सड़क पर नहीं हो या यह भूखंड किसी मार्ग द्वारा ऐसे मार्ग जुड़ा हो जो किसी भाग में न्यूनतम 10.00 मीटर चौड़ा हो।, तब तक उसपर किसी भी नए भवन की अनुमति नहीं दी जाएगी,

तालिका 2: पहुंच के साधनों से संबंधित निषेध

क्र. सं.	**श्रेणी**	**सड़क या मार्ग की चौड़ाई**
1.	एक आवासीय भवन जिसमें भवन के कुल तल क्षेत्र का 10% से कम शैक्षिक उपयोग को छोड़कर यदि किसी अन्य उपयोग या अधिभोग में हो।	यह भवन के किसी भी हिस्से में 2.4 मीटर से कम न हो।
2.	एक आवासीय भवन जिसमें भवन के कुल तल क्षेत्र का 10% या उससे अधिक शैक्षिक उपयोग में हो।	यह भवन के किसी भी हिस्से में 7.00 मीटर से कम न हो।
3.	एक शैक्षिक भवन जिसमें लोग रह रहे हों।	यह भवन के किसी भी हिस्से में 7.00 मीटर से कम न हो।
4.	एक शैक्षिक भवन जिसके कुल तल क्षेत्र का 10% से कम आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग या अधिभोग में हो।	यह भवन किसी भी हिस्से में 9.00 मीटर से कम न हो।
5.	अधिकतम 1000 वर्ग मीटर कुल तल क्षेत्र वाली संस्थागत इमारत जिसमें कुल तल क्षेत्र के 10% से कम अन्य उपयोग में हो।	यह भवन किसी भी हिस्से में 7.00 मीटर से कम न हो।

धारा (46) के भाग III के अनुसार, -

i. जब एक भूखंड में एक ही इमारत बनानी हो तो, भवन के लिए अधिकतम स्वीकार्य भूमि आवृत्त, भूखंड के आकार और भवन के उपयोग पर निर्भर करेगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3: अधिकतम अनुमेय भूमि आवृत्त (एकल भवन युक्त भुखंड)

भवन का प्रकार	अधिकतम अनुमेय भूमि आवृत्त
1. आवासीय एवं शैक्षणिक:	
क) 200 वर्ग मी. तक के भूखंड आकार	65%
ख) 500 वर्ग मी. से अधिक के भूखंड आकार	50%
2.मिश्रित प्रयोग सहित अन्य प्रयोग	40%.

ii. 201 से 500 वर्ग मीटर के बीच के किसी भूखंड के लिए, प्रत्यक्ष प्रक्षेप द्वारा आावृत्त के प्रतिशत की गणना की जाएगी।

i. व्यावसायिक इमारतों (खुदरा) और विधानसभा भवनों के लिए 5000 वर्गमीटर या अधिक के भूखंडों हेतु, कार पार्किंग और निर्माण सेवाओं के लिए 15% की सीमा तक अतिरिक्त भूमि आवृत्त की अनुमति दी जा सकती है। 15% की अतिरिक्त भूमि आवृत्त का उपयोग कार पार्किंग, रैंप, सीढ़ी, ऊपरी स्तर की कार पार्किंग के लिए लिफ्ट और वातानुकूलित संयंत्र कक्ष, जेनरेटर रूम, अग्निशमन उपकरणों, बिजली के उपकरणों के लिए इस 15% के 5% की अधिकतम सीमा को भीतर किया जाए और यह उपयोग अन्य प्रासंगिक भवन नियमों के अनुपालन के अधीन किया जाए।

उक्त अधिनियम की धारा (49) के भाग- III के अनुसार, -पहाड़ी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में भवेनों की अनुमेय ऊंचाई।

तालिका 4: एक भूखंड पर इमारतों की अधिकतम अनुमेय ऊंचाई

क्र. सं.	पहुंच के साधनों की चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम अनुमेय ऊंचाई (मीटर में)
1	2.40 से 3.50 तक	8.00

2	3.50 से 7.00 तक	11.00
3	7.00 से 10.00 तक	14.50
4	10.00 से 15.00 तक	18.00
5	15.00 से 20.00 तक	24.00
6	20.00 से 24.00 तक	36.00
7	24.00 से अधिक	1.5 X (पहुंच के साधनों की चौड़ाई + सामने के खुले स्थान की आवश्यक चौड़ाई)

उपर्युक्त अधिनियम के भाग IV (खुलेस्थान) के अनुसार:

पहाड़ी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में एक भूखंड के भीतर एक इमारत के लिए पार्किंग की जगह का प्रावधान- (धारा 52)

न्यूनतम पार्किंग स्थान:

1. कोई भी ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग स्थान इस से कम नहीं होगा-

   क. 2.2 मीटर के न्यूनतम हेड रूम (ऊपरी जगह) सहित मोटर कार के लिए पार्किंग का वर्ग मीटर (चौड़ाई 2.5 मीटर और लंबाई 5 मीटर), यदि छादित पार्किंग हो।

   ख. 4.75 मीटरके न्यूनतम हेड रूम सहित बस और ट्रक के लिए पार्किंग 37.5 वर्ग मीटर (चौड़ाई 2.5 मीटर और लंबाई 5 मीटर) हो, यदि छादित पार्किंग हो।

तालिका5 - आम मार्ग से अलग (ऑफ-स्ट्रीट) कार पार्किंग स्थान

क्र. सं.	**उपयोग**	**कार पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान**
I	आवासीय	1) एक कमरे वाला भवन- क.100 वर्ग मीटर से कम तल क्षेत्र वाले एक कमरे के एक इमारत के लिए कार पार्किंग -के लिए कोई स्थान न दिया जाए। ख. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तल क्षेत्र वाले एक कमरे के एक इमारत के लिए -एक कार पार्किंग का स्थान दिया

क्र. सं.	उपयोग	कार पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान
		जाए। ग.200 वर्ग मीटर से अधिक तल क्षेत्र वाले एक कमरे के एक इमारत के लिए या तल क्षेत्र के अधिक प्रत्येक -200 वर्ग मीटर के लिए एक कार पार्किंग की जगह दी जाए। 2) कई कमरों वाली इमारत के लिए- क. 50 वर्ग मीटर से कम के तल क्षेत्र वाले घर के लिए- क. 5 कमरे तक - कार पार्किंग के लिए कोई स्थान न दिया जाए। ख.ऐसे 6 कमरों के लिए एक कार पार्किंग की जगह - दी जाए। ग. इस तरह के हर 6 अतिरिक्त कमरों के लिए एक - अतिरिक्त कार पार्किंग की जगह दी जाए। ख. 50 वर्ग मीटर से अधिक लेकिन 75 वर्ग मीटर से कम तल क्षेत्र वाले कमरों के लिए- क. ऐसे 3 कमरों तक के लिए - कार पार्किंग के लिए कोई स्थान न दिया जाए। ख. ऐसे 4 कमरों के लिए एक कार पार्किंग की जगह - दी जाए ग. इस तरह के प्रत्येक अतिरिक्त 4 कमरों के लिए एक - अतिरिक्त पार्किंग स्थान दिया जाए। ग. 75 वर्ग मीटर से अधिक लेकिन 100 वर्ग मीटर से कम तल क्षेत्र वाले कमरों में प्रत्येक 2 ऐसे कमरों के लिए एक अतिरिक्त कार पार्किंग की जगह दी जाए। घ. 100 वर्ग मीटर से अधिक तल क्षेत्र वाले कमरों के लिए -100 वर्ग मीटर के लिए एक कार पार्किंग की जगह और हर अतिरिक्त 100 वर्ग मीटर के लिए एक कार पार्किंग की जगह दी जाए। ड़. विभिन्न आकार के कमरों वाली इमारत के लिए - कार

क्र. सं.	उपयोग	कार पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान
		पार्किंग की जगह की गणना प्रत्येक आकार-समूह के आधार पर की जाएगी, जहाँ (क), (ख), (ग) और (घ) के तहत कोई कार पार्किंग स्थान आवश्यक नहीं है, हालाँकि, इमारत के 300 वर्ग मीटर से अधिक के कुल आवृत्त क्षेत्र की जगह लिए कम से कम एक कार पार्किंग स्थल आवश्यक होगा, चाहे उसमें किसी भी आकार के घर हों।
II.	शैक्षिक	1. प्रशासनिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे 100 वर्ग मीटर तक के तल क्षेत्र के लिए - कार पार्किंग की जगह नहीं दी जाएगी। 2. प्रशासनिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे 100 वर्ग मीटर से अधिक लेकिन 400 वर्ग मीटर से कम के तल क्षेत्र के लिए - एक कार पार्किंग की जगह दी जाए। 3. प्रशासनिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे 400 वर्ग मीटर से अधिक के तल क्षेत्र के लिए - प्रत्येक 400 वर्ग मीटर के लिए एक कार पार्किंग की जगह दी जाए। 4. 1000 वर्ग मीटर से अधिक के कुल कवर क्षेत्र वाले प्रत्येक नए शैक्षिक भवन के लिए, प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के लिए एक बस पार्किंग की जगह की आवश्यकता होगी। यह भवन के लिए आवश्यक कार पार्किंग की जगह के अतिरिक्त होगा।
III.	संस्थाएं	1) सरकारी और सांविधिक निकायों या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संचालित अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों के लिए - i. 20 बेड तक के लिए एक कार पार्किंग स्थान और हर अतिरिक्त 20 बेड के लिए एक कार पार्किंग स्थान, ii. प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्र के लिए एक कार पार्किंग की जगह जहाँ बेड उपलब्ध नहीं हैं। 2) अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों के लिए जो सरकार, वैधानिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित न हों -प्रत्येक 75 वर्ग मीटर तल क्षेत्र में एक कार पार्किंग की

क्र. सं.	उपयोग	कार पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान
		जगह बशर्ते अधिकतम 500 पार्किंग स्थानों की ही दी जाए।
IV.	एकत्रण स्थल (असेम्बली)	1) थिएटरों के लिए,चल चित्र गृह, सिटी हॉल, डांस हॉल, स्केटिंग रिंक (स्केटिंग करने का स्थान), प्रदर्शनी हॉल, टाउन हॉल, ऑडिटोरियम या इसी तरह के अन्य हॉल, या ऐसी अन्य जगह- i. जहां बैठने की निश्चित व्यवस्था हो- प्रत्येक 10 सीटों के लिए एक कार पार्किंग की जगह, ii. बैठने की कोई व्यवस्था नहीं हो - हर 35 वर्ग मीटर तक के तल क्षेत्र फल के लिए, एक कार पार्किंग की जगह, 2) रेस्तरां, खान-पान के होटलों, बार, क्लब, जिम खाना के लिए - 20.0 वर्ग मीटर के कुल आवृत्त किए गए क्षेत्र तक कोई कार पार्किंग स्थान आवश्यक नहीं होगा। 20 वर्ग मीटर से अधिक के तल क्षेत्र फल के लिए, हर 35 वर्ग मीटर या उसके बाद का भाग के लिए एक कार पार्किंग की जगह आवश्यक होगी। 3) होटल और बोर्डिंग हाउस के लिए - (i) स्टार होटल के लिए हर दो अतिथि कक्ष (गेस्टरूम) के लिए एक कार पार्किंग स्थान आवश्यक होगा, (ii) प्रत्येक चार गेस्ट रूम या उसके हिस्से के लिए एक कार पार्किंग स्थान अन्य होटल और बोर्डिंग हाउस के लिए आवश्यक होगा, (iii) कार पार्किंग क्षेत्र में अतिरिक्त जगह, रेस्तरां, डाइनिंग, हॉल, शॉपिंग हॉल, सेमिनार हॉल, बैंक्वेट हॉल और अन्य उद्देश्यों के रूप में उपयोग की जाने वाली - प्रत्येक 35 वर्ग मीटर तल क्षेत्र फल या उसके भाग के लिए एक कार पार्किंग की जगह आवश्यक होगी। 4) अन्य समारोह भवनों जैसे कि पूजा स्थल, व्यायाम शाला, खेल स्टेडियम, रेलवे या यात्री स्टेशन, हवाई अड्डा टर्मिनल या किसी अन्य स्थान पर जहाँ लोग अधिनियम की- धारा 390 की उप-धारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुसार एकत्र होते हैं

क्र. सं.	उपयोग	कार पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान
		या इकट्ठा होते हैं- यहां महापौर परिषद प्रणाली (मेयर-इन-काउंसिल) द्वारा पार्किंग स्थान की आवश्यकता निर्धारित की जाएगी।
V.	व्यावसायिक	1) 1500 वर्गमीटर तक के तल क्षेत्र के लिए - प्रत्येक 50 वर्ग मीटर क्षेत्र फल के लिए एक कार पार्किंग की जगह। 2) ऊपर दिए गए खंड (1) में तल क्षेत्र के लिए के संदर्भ में आवश्यक कार पार्किंग स्थानों की संख्या के अतिरिक्त, 1500 वर्ग मीटर तल क्षेत्र से परे प्रत्येक 75 वर्गमीटर कार्पेट क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त कार पार्किंग स्थान दिया जाए। 3) 5000 वर्ग मीटर से ऊपर के तल क्षेत्र के लिए - ऊपर खंड (1) और (2) में आवश्यक कार पार्किंग के स्थान की संख्या के अलावा, 5000 वर्ग से अधिक के लिए अतिरिक्त 100 वर्ग मीटर क्षेत्र फल में अतिरिक्त एक कार पार्किंग की जगह दी जाए।
VI.	व्यापार (खुदरा)	1) 25 वर्ग मीटर क्षेत्र फल तक के लिए- कार पार्किंग की जगह नहीं दी जाए। 2) 25 वर्ग मीटर से ऊपर के क्षेत्रफल के लिए - प्रत्येक 35 वर्ग मीटर के लिए एक कार पार्किंग की जगह दी जाए।
VII.	औद्योगिक, भंडारण और व्यापार (थोक)	1) 200 वर्गमीटर से अधिक के तल क्षेत्र के लिए। - एक कार पार्किंग की जगह, 2) 200 वर्गमीटर से अधिक के तलक्षेत्र के लिए - प्रत्येक 200 वर्गमीटर के लिए एक कार पार्किंग की जगह ।और हर 1000 वर्गमीटर के लिए एक ट्रक पार्किंग की जगह बशर्ते न्यूनतम एक ट्रक पार्किंग स्थान दी जाए, 3) किसी भी स्थिति में आवश्यक कार पार्किंग की जगह 50 से अधिक नहीं होगी और आवश्यक ट्रक पार्किंग की जगह 50 से अधिक होगी।

उपर्युक्त अधिनियम के भाग IV (खुले स्थान) के अनुसार:

ऊंचे भवन (ऊंचाई में 14.5 मीटर से अधिक) - (धारा 53) -

क. नगर पालिका में भवन की ऊंचाई सामान्य रूप से 14.50 मीटर (साढ़े चौदह मीटर) से अधिक नहीं होगी। लेकिन 14.50 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले किसी भवन के मामले में, पार्षदों की परिषद को अधिकार है कि वह लिखित रूप में कारणों को दर्ज किए जाने और नगर निगम अभियांत्रिकी निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार के अधीक्षण अभियंता की पूर्व मंजूरी के साथ नगरपालिका क्षेत्र में उन योजनाओं को विशेष मामलों के रूप में अनुमोदित कर सकता है, जो उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत नहीं आते हों।

ख. साढ़े चौदह मीटर अधिक की हर इमारत के लिए, नीचे दी गई तालिका में तल क्षेत्र अनुपात दिया गया है:

तालिका 6- अधिकतम अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात

पहुंच के साधनों की चौड़ाई (मीटर में)	**आवासीय भवन**		**औद्योगिक व्यापार भवन**
	व्यावसायिक क्षेत्र, यदि हो तो	**अन्य क्षेत्र**	
14.50 से 20.00 तक	2.25	2.50	2.25
20.00 से 24.00 तक	2.50	2.75	2.50
24.00 से अधिक	2.75	3.00	2.75

2. स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध कोई धरोहर उप-विधि/विनियम/दिशानिर्देश

स्थानीय निकायों द्वारा ए.एस.आई स्मारकों के लिए कोई विशिष्ट उपनियम और दिशा निर्देश नहीं बनाए गए हैं।

3. खुले स्थान

पश्चिम बंगाल नगर पालिका (भवन निर्माण) नियम, 2007 के भाग IV (खुलेस्थान) के अनुसार,

पहाड़ी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में निर्माण के लिए खुला स्थान। (धारा 50) -

हर इमारत के बाहरी खुली जगह हो जिसमें सामने का खुला स्थान, पीछे का खुला स्थान और बगल का खुला स्थान शामिल हो।

इमारतों की ऊंचाई और श्रेणी के संबंध में न्यूनतम खुला स्थान निम्नानुसार होगा: -

क. आवासीय उपयोग के लिए:

इमारतों की ऊंचाई (मीटर में)	सामने का खुला स्थान (मीटर में)	बगल 1 का खुला स्थान (मीटर में)	बगल 2 का खुला स्थान (मीटर में)	पीछे का खुला स्थान (मीटर में)
8.0 तक	1.2	1.2	1.2	2.0
8.0 - 11.0 तक	1.2	1.2	1.2	3.0
11.0 - 14.5 तक	1.5	1.5	2.5	4.0
14.5 - 18.0 तक	3.5	3.5	3.5	5.0
18.0 - 24.0 तक	5.0	5.0	5.0	7.0
24.0 - 36.0 तक	6.0	6.5	6.5	9.0
36.0 - 60.0 तक	8.0	8.0	8.0	10.0
60.0 - 80.0 तक	10.0	भवन की ऊंचाई का 15%	भवन की ऊंचाई का 15%	12.0
80.0 से अधिक	12.0	भवन की ऊंचाई का 15%	भवन की ऊंचाई का 15%	14.0
ख. शैक्षिक उपयोग के लिए:				
11.0 मीटर तक (500.0 वर्ग मीटर तक का भूमि क्षेत्र)	2.0	1.8	4.0	3.5
11.0 मीटर तक (500.0 वर्ग मीटर से अधिक का भूमि क्षेत्र)	3.5	3.5	4.0	4.0
11.0 मीटर से 14.5 मीटर तक	3.5	4.0	4.0	5.0
14.5 मीटर से 21.0 मीटर तक	5.0	5.0	5.0	6.0
21.0 मीटर से अधिक	भवन की ऊंचाई का 20%या 6.0	भवन की ऊंचाई का 20%या 5.0	भवन की ऊंचाई का 20%या 5.0	भवन की ऊंचाई का 20%या 8.0

इमारतों की ऊंचाई (मीटर में)	सामने का खुला स्थान (मीटर में)	बगल 1 का खुला स्थान (मीटर में)	बगल 2 का खुला स्थान (मीटर में)	पीछे का खुला स्थान (मीटर में)
	मीटर, जो भी अधिक हो	मीटर, जो भी अधिक हो	मीटर, जो भी अधिक हो	मीटर, जो भी अधिक हो
ग. सांस्थानिक,एकत्रण स्थल सभाभवन (असेम्बली),व्यवसाय, व्यापारिक और मिश्रित उपयोग के लिए भवन:				
11.0 मीटर तक (500.0 वर्ग मीटर तक का भूमि क्षेत्र)	2.0	1.8	4.0	4.0
11.0 मीटर तक (500.0 वर्ग मीटर से अधिक का भूमि क्षेत्र)	3.0	3.5	4.0	4.0
11.0 मीटर से 18 मीटर तक	4.0	4.0	4.0	5.0
18 मीटर से 24.0 मीटर तक	5.0	5.0	5.0	9.0
24.0 मीटर से 36.0 मीटर तक	6.0	6.5	6.5	9.0
36.0 मीटर से अधिक	8.0	9.0	9.0	10.0
घ. औद्योगिक और भंडारण भवन के लिए:				
11.0 मीटर तक	5.0	4.0	4.0	4.5
11.0 मीटर से 18 मीटर तक	6.0	6.5	6.5	10.0
18.0 मीटर से अधिक	6.0 मीटर या भवन की ऊंचाई का 20%, जो भी अधिक हो	6.0 मीटर या भवन की ऊंचाई का 20%, जो भी अधिक हो	6.0 मीटर या भवन की ऊंचाई का 20%, जो भी अधिक हो	6.0 मीटर या भवन की ऊंचाई का 20%, जो भी अधिक हो

ध्यान दें:

क. अधिकतम 8.0 मीटर तक की ऊंचाई वाला हर आवासीय भवन जिसका भूखंड आकार 65 वर्गमीटर से अधिक न हो, उनमें सामने की तरफ भू तल पर न्यूनतम 0.90 मीटर का स्थान होगा।

ख. न्यूनतम 65 वर्ग मीटर के भूखंडों के लिए, प्रत्येक दिशा में में 0.9 मीटर की खुली जगह की अनुमति होगी, बशर्ते कि इमारत की ऊंचाई 8.00 (आठ) मीटर से अधिक न हो।

ग. उप-नियम (2) केखंड (क) में निहित किसी भी मद के अतिरिक्त, हर नई इमारत में मौजूदा खुली जगह में दरवाजे या खिड़की के लिए न्यूनतम 1.80 मीटर जगह होगी।

घ. किसी भी सड़क को अंत में मौजूद भूखंड पर 24.00 मीटर से अधिक गहराई वाली इमारत के मामले में, भवन की पूरी गहराई के साथ एक मार्ग प्रदान किया जाएगा और ऐसे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 4.0 मीटर होगी।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आवागमन- सड़क की ऊपरी सतह, पैदल यात्री मार्ग, मोटर-रहित परिवहन, आदि।

उपर्युक्त अधिनियम और नियमों में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर आवाजाही के संबंध में- सड़क की **ऊपरी सतह**, पैदल रास्ते, मोटर- रहित परिवहन, आदि के संबंध में कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालांकि सड़क की चौड़ाई और पहुंच के साधनों के लिए, ऊपरके पैरामें विवरण पहले ही बताए गए हैं। (उपखंड 3.2.1 और 3.2)

5. गलियां (स्ट्रीट स्केप्स), अग्रभित्ति, (फसाड्स तथा नव निर्माण

उपरोक्त अधिनियम और विनियमों में अग्रभित्ति के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि गलियां (स्ट्रीट स्केप्स) और नव निर्माण के लिए, विवरण का पहले से ही ऊपर के पैराग्राफों में उल्लेख है।

ANNEXURE-III

LOCAL BODIES GUIDELINES

The West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007- shall apply to buildings in the municipal areas, notified areas and Industrial Townships in West Bengal. ii. As per chapter XXIIIA of the Kolkata municipal corporation act, 1980- under section 425A-425P, certain guidelines have been prepared for the Preservation and Conservation of Heritage Buildings. They are:

- 425A- Owner to maintain, preserve and conserve heritage building.
- 425B- Power of Corporation to declare a building as a heritage building.
- 425C- Gradation of heritage building.
- 425D- Heritage Conservation Committee.
- 425E- Powers and functions of the heritage conservation committee.
- 425F- Power of Corporation to require, purchase or take on lease heritage building.
- 425H- Right of access to heritage building acquired by Corporation.
- 425-I- Sub-lease of heritage building.
- 425J- Permission of concerned department of State Government before acquisition of heritage building.
- 425K- Power to exempt rates and taxes, etc. on heritage building.
- 425L- Agreement with owner of heritage building pending acquisition.
- 425M- Voluntary contribution and agreement with any voluntary organization, person or company.
- 425N- Taking over management and control of heritage building.
- 425O- When heritage building ceases to be heritage building.
- 425P- Penalty. iii. In **The West Bengal Heritage Commission Act, 2001** a provision is made for the establishment of a Heritage Commission in the State of West Bengal for the purpose of identifying heritage buildings, monuments, precincts and sites and for measures for their restoration and preservation. It extends to the whole of West Bengal.

  In chapter II of this act-it is clearly mentioned to establish a Commission by the name of the West Bengal Heritage Commission.

1. **Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and heights within the regulated area for new construction; and setbacks:**

   The general rules of construction shall be applicable as per **the West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007**.

   As per part II (A), section 9 of the above mentioned rules: *Sub-division of plots in areas other than municipalities in hill areas.*

Table 1: Maximum length of the means of access

Sl. No.	Width of means of access	For means of access closed at one end	For means of access open to street at both ends
1	3.50 meters and above but not more than 7.00 meters	25.00 meters	75.00 meters
2	Above 7.00 meters but not more than 10.00 meters	50.00 meters	150.00 meters
3	Above 10.00 meters	No restriction	No restriction

As per part III, section (45) - *Rules for means of access in areas other than the Municipalities in hill areas.*

The minimum width of means of access in respect of a new building shall be as follows:

No new building shall be allowed on a plot unless the plot abuts a street which is not less than 10.00 meters in width at any part, or there is access to the plot from any such street by a passage which is not less than 10.00 meters in width at any part.

Table 2: Prohibition concerning means of access

Sl. No.	Category	Width of street or passage
1.	A residential building with other occupancy or occupancies if any except educational occupancy, of less than 10% of the total floor area of the building.	Shall not be less than 2.4 m. at any part.
2.	A residential building with educational occupancy of 10% or more of the total floor area of the building.	Shall not be less than 7.00 m. at any part.
3.	An educational building with residential occupancy.	Shall not be less than 7.00 m. at any part.
4.	An educational building with other occupancy or occupancies not being residential if any, of less than 10% of the total floor area of the building	Shall not be less than 9.0 m. at any part.
5.	Institutional building of total floor area not more than 1000 sq. m. with other occupancies of less than 10% of total floor area	Shall not be less than 7 m. at any part.

As per part III, section (46) –

i. The maximum permissible ground coverage for building, when a plot contains a single building, shall depend on the plot size and the use of the building as given in the table below:

Table 3: Maximum permissible Ground Coverage (Plot containing a single building)

Type of building.	**Maximum permissible ground coverage.**
1. **Residential and educational:**	
• Plot size up to 200 sq. meters	65%
• Plot size of above 500 sq. meters;	50%
2. **Other uses including mixed use**	40%.

ii. For any other size of the plot, in between the plot size of 201 to 500 square meters, the percentage of coverage shall be calculated by direct interpolation.

iii. For mercantile buildings (retail) and assembly buildings on plots measuring 5000 sqm. or more, the additional ground coverage to the extent of 15% may be allowed for car parking and building services. The additional ground coverage of 15% will be exclusively utilized for car parking, ramps, staircase, lift for upper level car parking and for building services such as Air Conditioned plant room, generator room, firefighting equipment's, electrical equipment's not exceeding 5% out of such 15% shall be used, subject to compliance of other relevant building rules.

As per part III, section (49) of the said act – *Permissible height of buildings in areas other than municipalities in hill areas.*

Table 4: The maximum permissible height of buildings on a plot.

Sl. No.	**Width of means of access (in meters).**	**Maximum permissible height (in meters).**
1	2.40 to 3.50	8.00
2	Above 3.50 to 7.00	11.00
3	Above 7.00 to 10.00	14.50
4	Above 10.00 to 15.00	18.00
5	Above 15.00 to 20.00	24.00
6	Above 20.00 to 24.00	36.00

7	Above 24.00	1.5 X (width of the means of access + required width of front open space).

As per part IV (open spaces) of the above mentioned act:

Provision of parking space for a building within a plot in the areas other than municipalities in hill areas- (Section 52).

Minimum Parking Space:

1. No off-street parking space shall be less than-

a) square meters (2.5 meters in width and 5 meters in length) for a motor car with a minimum head room of 2.2 meters if parked in a covered area,

b) 37.5 square meters (3.75 meters in width and 10 meters in length) for a truck and bus with a minimum head room of 4.75 meters if parked in a covered area.

Table 6 - Off-street Car Packing Space

SI. No.	Occupancy	Car Parking Space Requirement
I.	Residential	1) Building with single tenement – a) For a building having one tenement of less than 100 sq. m. in floor area - no car parking space; For a building having a tenement of 100 sq. m. or more but less than 200 sq. m. of floor area - one car parking space; b) For a building having one tenement of 200 sq. m. or more of floor area - one car parking space for every 200 sq. m. 2) Buildings with multiple tenements- a) Tenement with less than 50 sq. m. of floor area – • Up to 5 such tenements - no car parking space, • For 6 such tenements - one car parking space, • For every additional 6 of such tenements - one additional car parking space. b) Tenement with more than 50 sq. m. but less than 75 sq. m. of floor area- a. Up to 3 such tenements - no parking space, b. For 4 such tenements - one car parking space, c. For every additional 4 of such tenements - one additional parking space. c) Tenement with more than 75 sq. m. but less than 100 sq. m. for every two such tenement additional one car parking space. d) Tenement with more than 100 sq. m. floor area - one car parking space for 100 sq. m. and one car parking space for every additional 100 sq. m.

		e) Tenements of different sizes in a building - Car parking space shall be calculated on the basis of each size-group, where no car parking space is necessary under (A), (B), (C) and (D) so, however, that at least one car parking space shall be necessary for more than 300 sq. m. of the total covered area in the building irrespective of number of sizes of tenements.
II.	Educational	• For floor area up to 100 sq. m. used for administrative purpose - no car parking space, • For floor area of more than 100 sq. m. but less than 400 sq. m. used for administrative purpose - one car parking space, • For floor area of 400 sq. m. and above used for administrative purpose - one car parking space for every 400 sq. m. • For every new educational building having total covered area of more than 1000 sq. m., one bus parking space for every 1000 sq. m. shall be required. This shall be in addition to the car parking space required for the building.
III.	Institutional	1) For hospitals and other health care institutions run by Government, statutory bodies or local authorities – i. one car parking space up to 20 beds and one car parking space for every additional 20 beds, ii. One car parking space for every 100 sq. m. of floor area where beds are not provided.
		2) For hospitals and other health care institutions not run by the Government, statutory bodies or local authorities - one car parking space for every 75 sq. m. of floor area, subject to a maximum of 500 parking spaces.
IV.	Assembly	1) For theatres, motion picture houses, city halls, dance halls, skating ring, exhibition halls, town halls, auditorium or similar other halls, or such other places – i. having fixed seating arrangement - one car parking space for every 10 seats, ii. having no fixed seating arrangements - far every 35 sq. m. of carpet area, one car parking space, 2) For restaurant, eating houses, bars, clubs, gym khana - no car parking space shall be necessary up to a total covered area of 20.0 sq. m. For carpet area of more than 20 sq. m. one car parking space for every 35 sq. m. or part thereof shall be necessary. 3) For hotels and boarding houses - (i) one car parking space for every two guest rooms shall be necessary for star hotels, (ii) One car parking space for every four guest rooms or part thereof shall

		be necessary for other hotels and boarding houses. (iii) Additional car parking space for areas, to be used as restaurant, dinning, hall, shopping halls, seminar halls, banquet halls and other purposes – one car parking space for every 35 sq. m. of carpet area or part thereof shall be necessary, 4) For other assembly buildings like place of worship, gymnasium sports stadium, railway or by passenger station, airport terminal or any other places where people congregate or gather for the purpose as specified in clause (d) of sub section (2) of section 390 - of the Act - requirement of parking space shall be determined by the Mayor-in-Council.
V.	Business	1) For floor area up to 1500 sq. m. - one car parking space for every 50 sq. m. of carpet area. 2) For floor area in additional to the number of ear parking spaces as required in terms of clause (1) above, additional one car parking space for every 75 sq m. of carpet area beyond 1500 sq. m. of floor area, 3) For floor area above 5000 sq. m - in addition to the number of car parking spaces required in clause (1) and (2) above, additional one car parking space for every 100 sq.m of carpet area beyond 5000 sq.m.
VI.	Mercantile (Retail)	1) For carpet area lip to 25 sq. m.- no car parking space. 2) For carpet area above 25 sq. m. - one car parking space for every 35 sq. m.
VII.	Industrial, Storage and Mercantile (Wholesale)	1) For floor area above 200 sq. m. - one car parking space, 2) For floor area above 200 sq. m. - one car parking space for every 200 sq.m. and one truck parking space for every 1000 sq. m. subject to a minimum of one truck parking space, 3) In no case the required car parking space shall exceed 50 and the required truck parking space shall exceed 50.

As per part IV (open spaces) of the above mentioned act:

Tall building (exceeding fourteen and a half meters in height)- (Section 53)-

क. In Municipality the building height shall not normally be more than 14.50 meters (fourteen and a half meters). But in the case of any building exceeding 14.50 meters in height, the Board of Councillors, for reasons to be recorded in writing and with the previous approval of the Superintending Engineer of the Municipal Engineering Directorate, Government of West Bengal, having jurisdiction over the concerned municipal area may sanction those schemes as special cases if not otherwise covered by any law for the time being in force.

ख. For every building exceeding fourteen meters and a half, the Floor Area Ratio shall be as specified in the table below:

Table 5- Maximum Permissible Floor Area Ratios

Width of means of access (meters)	Residential building		Industrial business building
	Commercial zone, if any	Other zone	
Above 14.50 to 20.00	2.25	2.50	2.25
Above 20.00 to 24.00	2.50	2.75	2.50
Above 24.00	2.75	3.00	2.75

2. Heritage byelaws/ regulations/ guidelines, if any, available with local bodies.

As per **Kolkata Municipal Corporation Building Rules 2009:**

a) Chapter V (Municipal Building Committee), Section 37(1)- The Mayorin-Council shall in accordance with the provisions of sub-section (1) and (2) of section 391, constitute a Municipal Building Committee with the Municipal Commissioner as its Chairman and an officer of the Corporation as its Convener.

b) Chapter IX (Open spaces), Section 65A- In case of heritage building and/or land having water body, Mayor-in-Council may allow, on the recommendation of Municipal Building Committee, necessary relaxation in respect of front, sides and rear spaces keeping sufficient open space available for movement of Fire and Emergency vehicles upto the satisfaction of West Bengal Fire & Emergency Services provided that the existing Heritage Building or Water Body or both taken together occupy at least 25% of the land area.

c) Chapter X:

i. Section 69- In case of premises having a heritage building, the Floor Area Ratio of the premises may be increased upto a maximum of 0.5 but in no case the floor area increased be more than the floor area of retained heritage building (part or full) upon obtaining recommendation of the Heritage Conservation Committee from heritage point of view.

ii. Section 74- Mayor-in-Council may allow additional height for a proposed building on a plot of land where there is water body or a heritage building on the recommendation of the Municipal Building Committee provided that the existing Heritage Building or Water Body or both taken together occupy at least 25% of the land area.

d) Chapter XII, section 81-The plot having an existing heritage building or a water body, the internal road width between such buildings may be allowed to be 3.5 m. irrespective of the length of such internal road on the recommendation of the Municipal Building Committee without disturbing such heritage building or water body provided that the existing heritage building or water body or both taken together occupy at least 25% of the land area.

3. Open spaces

As per part IV (open spaces) of **the West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007**.

Open spaces for building in areas other than municipalities in hill areas. (Section 50) – Every building shall have exterior open spaces comprising front open space, rear open space and side open spaces.

The minimum open spaces with respect to height and Category of buildings shall be as follows:-

a) For residential use:

Height of building (in meter)	**Front open space (in meter)**	**Open space on side 1 (in meter)**	**Open space on side 2 (in meter)**	**Rear open Space (in meter)**
Upto 8.0	1.2	1.2	1.2	2.0
Above 8.0 upto 11.0	1.2	1.2	1.2	3.0
Above 11.0	1.5	1.5	2.5	4.0
upto 14.5				
Above 14.5 upto 18.0	3.5	3.5	3.5	5.0
Above 18.0 upto 24.0	5.0	5.0	5.0	7.0
Above 24.0 upto 36.0	6.0	6.5	6.5	9.0
Above 36.0 upto 60.0	8.0	8.0	8.0	10.0
Above 60.0 upto 80.0	10.0	15% of the height of the building	15% of the height of the building	12.0
Above 80.0	12.0	15% of the height of the building	15% of the height of the building	14.0

b) For Educational use:

Height of Building	**Front Open Space (in meter)**	**Open Space on side 1 (in meter)**	**Open Space on side 2 (in meter)**	**Rear Open Space (in meter)**
Upto 11.0 meter (land area upto 500.0 square meter)	2.0	1.8	4.0	3.5
Upto 11.0 meter (land area above 500.0 square meter)	3.5	3.5	4.0	4.0
Above 11.0 meter upto 14.5 meter	3.5	4.0	4.0	5.0
Above 14.5 meter upto 21.0 meter	5.0	5.0	5.0	6.0
Above 21.0 meter	20% of the height of the building or 6.0 M, whichever is more	20% of the height of the building or 5.0 M, whichever is more	20% of the height of the building or 5.0 M, whichever is more	20% of the height of the building or 8.0 M, whichever is more

c) For Institutional, Assembly, Business, Mercantile and Mixed use Building:

Height of Building	**Front Open Space (in meter)**	**Open Space on side 1 (in meter)**	**Open Space on side 2 (in meter)**	**Rear Open Space (in meter)**
Upto 11.0 meter (land area upto 500.0 sq meter)	2.0	1.8	4.0	4.0
Upto 11.0 meter (land area above 500.0 sq meter)	3.0	3.5	4.0	4.0
Above 11.0 meter upto 18 meter	4.0	4.0	4.0	5.0
Above 18.0 meter upto 24.0 meter	5.0	5.0	5.0	9.0
Above 24.0 meter upto 36.0 meter	6.0	6.5	6.5	9.0
Above 36.0 meter	8.0	9.0	9.0	10.0

d) For Industrial and Storage Building:

Height of Building	Front Open Space (in meter)	Open Space on side 1 (in meter)	Open Space on side 2 (in meter)	Rear Open Space (in meter)
Upto 11.0 M	5.0	4.0	4.0	4.5
Above 11.0M upto 18.0 M	6.0	6.5	6.5	10.0
Above 18.0 M	6.0 or 20% of the height of the building whichever is more	6.0 or 20% of the height of the building whichever is more	6.0 or 20% of the height of the building whichever is more	6.0 or 20% of the height of the building whichever is more

Note:

- Every residential building of height not more than 8.0 m on plot size not exceeding 65 sq.m in area shall have a minimum front space at ground level of 0.90 m.
- For plots of size not more than 65 sq. meters, minimum side open space of 0.9 meters may be allowed on each side, provided that the building height does not exceed 8.00 (eight) meters;
- Notwithstanding anything contained in clause (a) of sub-rule (2), the minimum distance across the side open space from every new building to an existing building with a door or window opening shall be 1.80 meters;
- In the case of a building more than 24.00 meters in depth on a plot abutting any street, a passage along the entire depth of the building shall be provided and the minimum width of such passage shall be 4.0 meters.

4. Mobility within the prohibited and regulated area- roads facing, pedestrian ways, non-motorized transport, etc.

The monuments lie to the south of Bishnupur, near the Lal Bandh in Ramananda Road. It can be reached from NH 14 (2.8 km south of the monument) as well as from SH 2 (4.3 km north of the monument). All the monuments are accessible by a cart-track road. The primary mode of transportation is by motorcycles, scooters, bicycles, cars, jeeps, auto rickshaws, buses, etc.

5. **Streetscapes, Facades and New construction.**

There is no specific account made in the above said act and regulations regarding facades. However, for streetscape and new construction, the details are already stated.

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE-IV

नंद लाल मंदिर, जोड़ मंदिर, राधागोविंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और कला चंद मंदिर, स्थान - बिष्णुपुर, जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल का सर्वेक्षण प्लान

Survey Plan of Nanda Lal Temple, Jora Mandir, Radhagobinda Temple, Radhamadhab Temple and Kala Chand Temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal

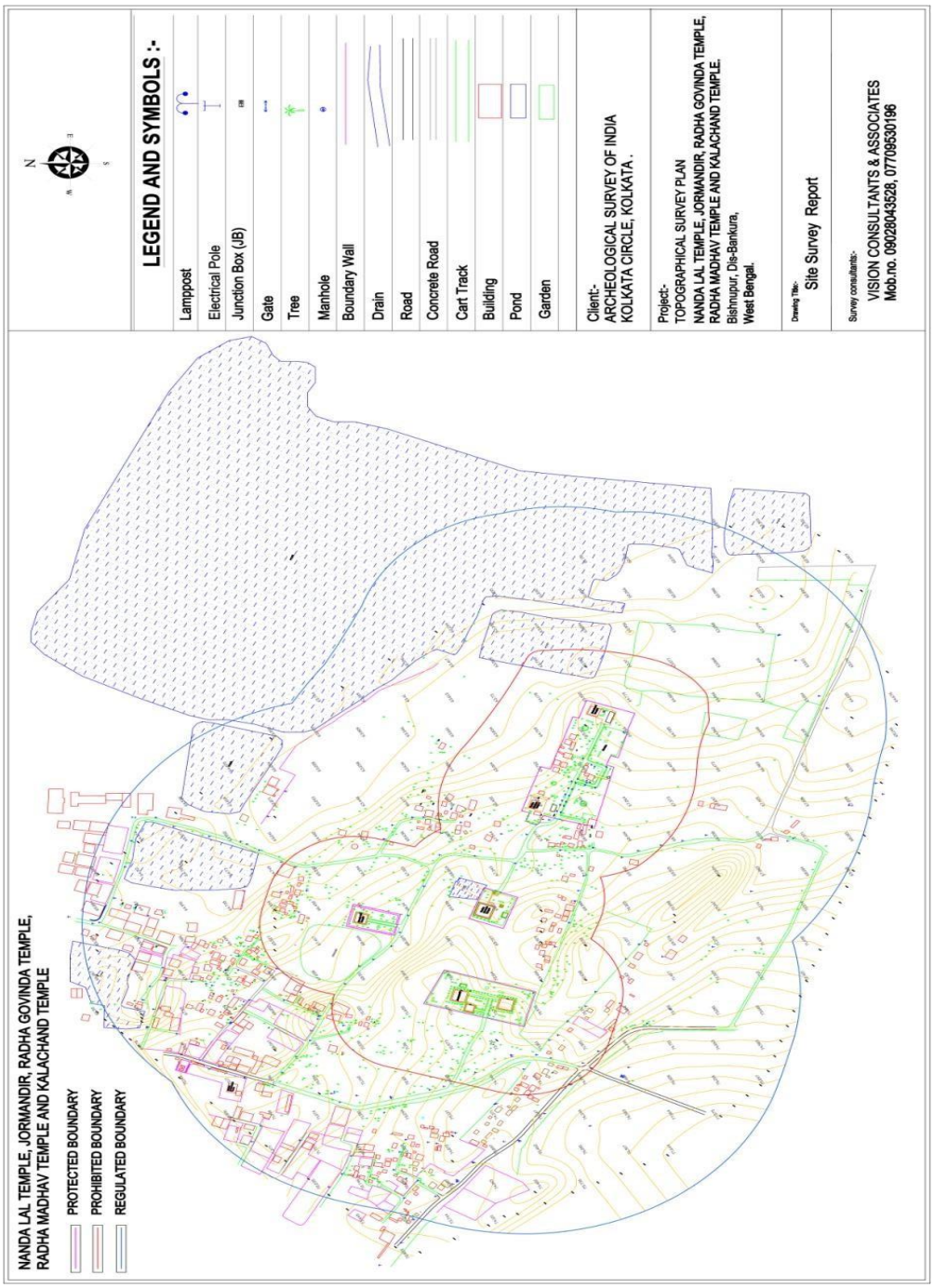

अनुलग्नक-V
ANNEXURE-V

स्मारक और इसके आस-पास के चित्र
IMAGES OF THE MONUMENT AND ITS SURROUNDINGS

नंद लाल मंदिर
NANDALAL TEMPLE

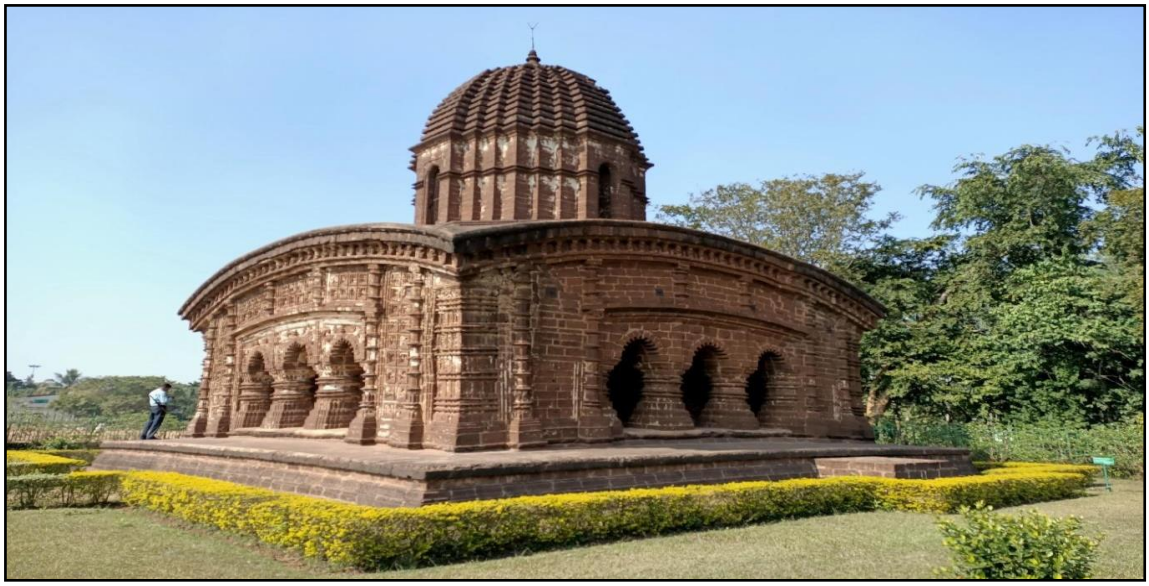

नंद लाल मंदिर
NANDALAL TEMPLE

जोड मंदिर

JORA MANDIR

जोड़ मंदिर

JORA MANDIR

राधागोविंद मंदिर

Radhagobinda Temple

राधामाधव मंदिर

Radhamadhab Temple

कला चंद मंदिर

Kala Chand Temple

कला चंद मंदिर

Kala Chand Temple

बिष्णपर मेले का दृश्य
Scenes from Bishnupur Mela

मंदिर में सांस्कृतिक गतिविधि
Cultural Activity in Temple